

बुधवार 11 दिसंबर 2019

कोलकाता, चंडीगढ़, नई दिल्ली, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com



अमित शाह ► पृष्ठ 16

एक नज़र

कार्ती मामले में अब ऐक्सिस बैंक पहुंचा सैट

कार्ती स्टॉक ब्रॉकिंग मामले में अब ऐक्सिस बैंक भारतीय प्रतिभूति एवं अपील पंचाट (सैट) में पहुंच गया है। इससे पहले बजाज फाइनेंस, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक सैट जा चुके हैं। इन्होंने सैट से एनएसडीएल द्वारा गिरवी रखे शेयरों को वापस कार्ती के ग्राहकों के खाते में हस्तांतरित करने के निर्णय को रद्द करने की मांग की थी। हालांकि सैट ने इस मामले में सेबी को अंतिम आदेश जारी करने का निर्देश दिया था। ऐक्सिस बैंक की याचिका पर सैट बुधवार को विचार कर सकता है। इस बारे में पक्ष जानने के लिए ऐक्सिस बैंक को ईमेल किया गया लेकिन उसका जवाब नहीं आया।

बीओबी, यूको और यूनियन बैंक ने घटाया एमसीएलआर

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी), यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक ने बचमाक उधारी दर यानी सीमांत लागत पर आधारित उधारी दर (एमसीएलआर) में कटौती की है। एचडीएफसी बैंक ने भी एमसीएलआर में कटौती की है। बीओबी का एक साल का एमसीएलआर अब 8.25 फीसदी होगा, जो एक साल के मौजूदा एमसीएलआर के मुकाबले 5 आधार अंक कम है। ब्याज दर में यह कटौती 12 दिसंबर 2019 से प्रभावी होगी। इसी तरह यूको बैंक ने इसमें 10 आधार अंक की कटौती की है। यूनियन बैंक ने विभिन्न अवधि के लिए एमसीएलआर में 5 से 10 आधार अंक की कटौती की है। इसी तरह एचडीएफसी बैंक ने भी हर अवधि के अपने कर्ज की ब्याज दर 15 आधार अंक घटा दी है। पृष्ठ 2

संशोधित एमएनपी के नए नियम 16 दिसंबर से

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने संशोधित मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) प्रक्रिया के लिए मंगलवार को सार्वजनिक नोटिस जारी किया। इससे 16 दिसंबर से पोर्टिंग की प्रक्रिया तेज और सुगम हो जाएगी। एमएनपी के तहत कोई उपभोक्ता अपने ऑपरेटर को बदल सकता है और उसका मोबाइल नंबर कायम रहता है। नई प्रक्रिया विशिष्ट पोर्टिंग कोड (यूपीसी) का सृजन करने की शर्त के साथ लाई गई है। इसमें सेवा क्षेत्र के अंदर पोर्ट करने के आग्रह को तीन कार्यदिवसों में पूरा करना होगा।

हुंडई मोटर के वाहन जनवरी से होंगे महंगे

हुंडई मोटर के वाहन जनवरी से महंगे हो जाएंगे। कंपनी ने कहा है कि उत्पादन लागत में बढ़ोतरी के मद्देनजर वह अगले महीने से अपने सभी वाहनों के दाम बढ़ाएगी। इससे पहले मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स भी जनवरी से अपने वाहनों के दाम बढ़ाने की घोषणा कर चुकी है। हुंडई मोटर इंडिया ने कहा कि कीमतों में बढ़ोतरी मॉडल और ईंधन प्रकार के हिसाब से भिन्न-भिन्न होगी।

एयरटेल ने शुरु की वाई-फाई कॉलिंग सेवा

भारती एयरटेल ने दिल्ली-एनसीआर में अपने ग्राहकों के लिए स्मार्टफोन पर वॉयस ओवर वाई-फाई यानी वाई-फाई के जरिये कॉल करने की सेवा मंगलवार को शुरू की। इसका अन्य शहरों में विस्तार किया जाएगा। कंपनी का दावा है कि वह इस तरह की सेवा शुरू करने वाली दूरसंचार उद्योग की पहली कंपनी है। इस सेवा के लिए ग्राहकों को कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा।

व्यापार गोष्ठी

अगिनकांड जैसे हादसे टालने के क्या उपाय?

अपनी राय पासपोर्ट साइज फोटो और पूरे पते के साथ हमें इस पते पर भेजें:

बिजनेस स्टैंडर्ड, नेहरू हाउस, 4 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 फ़ैसल नंबर - 011-23720201 या फिर ई-मेल करें goshthi@bshindi.in अपने विचार आप हमें bshindi.com पर भी भेज सकते हैं

आज का सवाल

क्या राजकोषीय घाटे का लक्ष्य चूक जाएगी सरकार

www.bshindi.com पर राय भेजें। आप अपना जवाब एसएमएस भी कर सकते हैं। यदि आपका जवाब हां है तो **BSP Y** और यदि न है तो **BSP N** लिखकर 57007 पर भेजें।

पिछले सवाल का जवाब

क्या ई-कॉमर्स रिगनाजी हां **85.71%**
एमएसएमई रणनीति होगी कारगर? नहीं **14.29%**



► पृष्ठ 6

दो सप्ताह में आधे हो सकते हैं प्याज के दाम

नागरिकता विधेयक देश का आंतरिक मामला

डॉलर रु. 70.90 ▼ 20 पैसे | यूरो रु. 78.60 ▼ 10 पैसे | सोना (10ग्राम) रु. 37615 ▼ 33 रुपये | सेंसेक्स 40239.90 ▼ 247.60 | निफ्टी 11856.80 ▼ 80.70 | निफ्टी फ्यूचर्स 11898.20 ▲ 41.40 | ब्रेंट क्रूड 65.20 डॉलर ▼ 0.20 डॉलर

डेटा विधेयक से उद्योग आशंकित

डेटा संरक्षण विधेयक में सरकार को विशेष अधिकार, कंपनियों की मुश्किल

नेहा अलावधी, करण चौधरी और पीरजादा अबरार
नई दिल्ली, बंगलूरु, 10 दिसंबर

पिछले हफ्ते केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर निजी डेटा संरक्षण विधेयक से केंद्र सरकार को किसी भी एजेंसी को विधेयक के प्रावधान से छूट देने का अधिकार होगा। दूसरी ओर इसकी कुछ शर्तों के कारण बड़ी तकनीकी कंपनियों और डिजिटल कॉमर्स फर्मों में अपने कारोबारी मॉडल को जारी रखने और निवेश चक्र को बनाए रखने पर चिंता उत्पन्न हो सकती है।

विधेयक की प्रति आज लोकसभा सदस्यों के बीच वितरित की गई और इसके शीत सत्र में पेश किए जाने की संभावना है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने भी विधेयक देखा है जिसमें कहा गया है कि भारत की संप्रभुता और अखंडता, देश की सुरक्षा, दूसरे देशों के साथ मैत्री संबंधों के हित में या निश्चित स्थिति में संज्ञेय अपराध के लिए कमीशन को बढ़ावा देने से रोकने के लिए केंद्र सरकार निजी डेटा संरक्षण विधेयक के कोई या सभी प्रावधानों को 'सरकार की किसी भी एजेंसी' पर लागू नहीं करने का निर्देश देने पर निर्णय कर सकता है।

...डेटा संरक्षण विधेयक में खास



डिजिटल कॉमर्स फर्मों को बदलना पड़ सकता है अपना कारोबारी मॉडल

के बारे में विशेषज्ञों का कहना है कि यह विधेयक के पहले मसौदे से काफी अलग है, जिसे न्यायाधीश बीएन श्रीकृष्ण समिति ने सरकार को सौंपा गया था। इसमें कहा गया था कि देश की सुरक्षा के हित में निजी डेटा की प्रोसेसिंग की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि कानून ऐसा करना जरूरी न हो। इंटरनेट प्रोडम फाउंडेशन के कार्यकारी निदेशक अपार गुप्ता ने कहा, 'इस विधेयक में

निगरानी सुधार की कोई व्यवस्था नहीं है जिसमें सीसीटीवी निगरानी, सोशल मीडिया आदि निगरानी शामिल हो सकती है। लेकिन इस पर विचार नहीं किया गया क्योंकि निजी डेटा संग्रह के लिए सहमति पूर्व शर्त है।' डिजिटल कॉमर्स कंपनियों को आशंका है कि अगर डेटा संरक्षण विधेयक अपने मौजूदा प्राारूप में पारित होता है तो उनके कारोबार पर इसका बुरा असर पड़ेगा। उन्हें डर है कि इससे न केवल उनके रोजाना कामकाज में मुश्किलें आएंगी बल्कि सीधे तौर पर उनका कारोबारी मॉडल

भी प्रभावित होगा। कई कंपनियों को आशंका है कि इससे अगले वाले होने वाला निवेश चक्र भी प्रभावित होगा। एक बहुराष्ट्रीय डिजिटल कॉमर्स फर्म के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने कहा, 'इससे हमारा कामकाज प्रभावित होगा। यह डेटा संरक्षण को देखने का संकीर्ण तरीका है। इससे हमारा कारोबारी मॉडल प्रभावित होगा। जिस तरह हम काम करते हैं उसे हर साल बदलना मुश्किल है। प्रोसेसिंग और डेटा प्रबंधन पर खर्च पेचीदा मसला है। कई कंपनियों को अपनी निवेश योजनाओं पर पुनर्विचार करना पड़ेगा जिसमें हमारी कंपनी भी शामिल है।'

उद्योग के जानकारों के मुताबिक यह मसौदा विधेयक कारोबार को आसान बनाने की सोच में बाधक बन सकता है। लॉ फर्म टेकलेजिस एडवोकेट्स एंड सॉलिसिटीस के मैनेजिंग पार्टनर सलमान वासिस ने कहा, 'विधेयक के मुताबिक डेटा संरक्षण प्राधिकरण से गोपनीयता का प्रमाण पत्र लेने की जरूरत होगी। इस तरह के प्रावधानों से कंपनियों पर अनुपालन का अनावश्यक बोझ पड़ेगा और कारोबार आसान बनाने की राह मुश्किल होगी। मौजूदा आर्थिक माहौल में आईटी क्षेत्र में तेजी के लिए यह बेहद जरूरी है।'

(शेष पृष्ठ 16 पर)

येस बैंक साइटेक्स की पेशकश पर कर रहा विचार

निधि राय

मुंबई, 10 दिसंबर

मुश्किल दौर से गुजर रहे निजी क्षेत्र के येस बैंक ने कहा है कि वह साइटेक्स होल्डिंग्स एंड साइटेक्स इन्वेस्टमेंट ग्रुप के 50 करोड़ डॉलर के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। बैंक ने कहा कि शेयर आवंटित करने पर निदेशकमंडल की अगली बैठक में विचार किया जाएगा। बैंक ने कहा, 'निदेशक मंडल इन दोनों कंपनियों के 50 करोड़ डॉलर की पेशकश पर सकारात्मक रुख के साथ विचार करने के लिए तैयार है। इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय अगली बैठक में लिया जाएगा। हालांकि इसके लिए नियामकों से आवश्यक मंजूरी भी अनिवार्य होगी।'

येस बैंक ने स्टॉक एक्सचेंजों को बताया कि वह अब भी कनाडा के कारोबारी इरविन सिंह बराइच और एसपीजीपी होल्डिंग्स की 1.2 डॉलर की पेशकश पर विचार कर रहा है। बैंक ने इरविन सिंह बराइच और एसपीजीपी होल्डिंग्स के लिए समझौते के तहत लागू होने वाली शर्तों की समय सीमा 30 नवंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दी है। बैंक ने यह भी स्पष्ट किया कि वह



- इरविन सिंह बराइच की पेशकश पर भी बैंक कर रहा विचार
- 2 अरब डॉलर जुटाने के लिए बैंक दूसरे निवेशकों पर भी कर रहा विचार

2 अरब डॉलर रकम जुटाने के लिए दूसरे संभावित निवेशकों पर भी विचार कर रहा है। 30 नवंबर को देर रात बैंक ने एक्सचेंजों को बताया था कि प्रवासी निवेशकों की दिलचस्पी को बढ़ाकर 2 अरब डॉलर तक कर दी है। येस बैंक में हिस्सेदारी खरीदने के जिन अन्य इकाइयों ने दिचलस्पी दिखाई है, उनमें आदित्य बिड़ला फैमिली ऑफिस (2.5 करोड़ डॉलर), जीएमआर ग्रुप सीमा 30 नवंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दी है।

एसबीआई ने फंसे कर्ज को कम करके दिवाया!

बीएस संवाददाता

मुंबई, 10 दिसंबर

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने वित्त वर्ष 2019 में अपने फंसे कर्ज को सही जानकारी नहीं दी थी और इसे वास्तविक राशि से कम बताया था। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के जोखिम आकलन रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। एसबीआई ने आज एक नियामकीय जानकारी में कहा कि उसने पिछले वित्त वर्ष में अपना फंसा कर्ज वास्तविक एनपीए से 11,932 करोड़ रुपये कम बताया था।

आरबीआई द्वारा किए गए आकलन के अनुसार बीते वित्त वर्ष में एसबीआई का सकल एनपीए 1,84,682 करोड़ रुपये था। यह बैंक द्वारा दिखाए गए 1,72,750 करोड़ रुपये के सकल एनपीए से 11,932 करोड़ रुपये अधिक है। इसी तरह बैंक का शुद्ध एनपीए 77,827 करोड़ रुपये था। वहीं एसबीआई ने इस साल मई में 2018-19 में 862 करोड़ रुपये का लाभ दर्ज किया था। आगे कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष में अद्यतन के बाद चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में सकल एनपीए पर 3,143 करोड़ रुपये और शुद्ध एनपीए 687 करोड़ रुपये का प्रभाव पड़ेगा। तीसरी तिमाही के दौरान बैंक को 4,654 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान करना होगा।



- आरबीआई की जोखिम आकलन रिपोर्ट में हुआ खुलासा
- वास्तविक एनपीए से 11,932 करोड़ रुपये कम दिखाया फंसा कर्ज
- बही खाते में करना पड़ता 12,036 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान

की जरूरत थी। इस वजह से बैंक को अपने बही खाते में 12,036 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान करना पड़ता जिससे अनुमानित घाटा 6,968 करोड़ रुपये रहता। एसबीआई ने इस साल मई में 2018-19 में 862 करोड़ रुपये का लाभ दर्ज किया था। आगे कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष में अद्यतन के बाद चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में सकल एनपीए पर 3,143 करोड़ रुपये और शुद्ध एनपीए 687 करोड़ रुपये का प्रभाव पड़ेगा। तीसरी तिमाही के दौरान बैंक को 4,654 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान करना होगा।

भारत के रियल्टी बाजार में उतरने को तैयार टोनिनो लैंबोर्गिनी

अभिषेक रक्षित
कोलकाता, 10 दिसंबर

इटली की कंपनी टोनिनो लैंबोर्गिनी अगले छह महीने में भारत के रियल एस्टेट बाजार में उतरने जा रही है और उसका जोर आवासीय परियोजनाओं पर होगा। कंपनी को उम्मीद है कि अगले पांच साल में उसके कुल राजस्व का 15 फीसदी हिस्सा भारत से आएगा। कंपनी भारत में ऐस रिजल्ट एस्टेट साझेदार की तलाश में जुटी है जो उसकी परियोजना को विकसित कर सके। टोनिनो लैंबोर्गिनी की भूमिका ब्रांडिंग और लक्जरी अपार्टमेंटों का डिजाइन तैयार करने की होगी। इस कंपनी की स्थापना लैंबोर्गिनी कार बनाने वाले फेरुसो लैंबोर्गिनी के उत्तराधिकारियों ने की थी। इससे पहले वह चीन और संयुक्त अरब अमीरात के रियल एस्टेट बाजार में उतर चुकी

है। टोनिनो लैंबोर्गिनी कंपनी के मुख्य कार्याधिकारी और उपाध्यक्ष फेरुसो लैंबोर्गिनी का नाम भी अपने दादा की तरह है। उन्होंने बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा, 'हमने पहले ही भारतीय बाजार के लिए बातचीत शुरू कर दी है। इस बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बता सकता हूँ लेकिन मैं यह गारंटी दे सकता हूँ कि अगले छह महीने में कम से कम एक समझौता हो जाएगा।' कंपनी की नजर शुरुआत में मुंबई, पुणे, बंगलूरु, नई दिल्ली, कोलकाता और हैदराबाद पर है और साझेदार के चयन को लेकर वह बेहद सतर्क है। उन्होंने कहा, 'हम परियोजना को अपना नाम और ब्रांड देते हैं जिससे इसे लक्जरी और गुणवत्ता की विश्वसनीयता और भरोसा मिलता है। लेकिन कुछ गलत होता है तो कोई भी स्थानीय साझेदार का नाम याद नहीं रखेगा बल्कि टोनिनो लैंबोर्गिनी ब्रांड



का नाम याद रखेगा।' टोनिनो लैंबोर्गिनी ब्रांड का लक्ष्य अमीर वर्ग के लिए अपार्टमेंट बनाना है जो शानदार डिजाइन और बेहतरीन गुणवत्ता चाहते हैं। इससे ग्राहकों को इतलावी जीवनशैली का लुफ्त मिलेगा। लैंबोर्गिनी ने कहा, 'आजकल ग्राहक न केवल इमारत बल्कि आंतरिक

साजसजा के डिजाइन और गुणवत्ता को लेकर बेहद सतर्क रहते हैं। हम न केवल इमारत को अपना ब्रांड देंगे बल्कि हमारे पास टाइल, फर्श, लाइट और दूसरे उत्पादों की भी पूरी रेंज है।' इन अपार्टमेंटों में टोनिनो लैंबोर्गिनी के उत्पाद लगाए जाएंगे। अभी इन फ्लैटों की कीमत तय नहीं की गई है लेकिन

3.5 से 3.8 फीसदी के दायरे में रह सकता है राजकोषीय घाटा

अरूप रायचौधरी

नई दिल्ली, 10 दिसंबर

नरेंद्र मोदी सरकार 2019-20 के लिए राजकोषीय घाटे के अपने लक्ष्य से चूक सकती है। सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से बिजनेस स्टैंडर्ड को संकेत मिले हैं कि चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.5 से 3.8 फीसदी के बीच रह सकता है। हालांकि सरकार ने इसे 3.3 फीसदी पर रखने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

राजकोषीय घाटा जीडीपी के 3.5 से 3.8 फीसदी के दायरे में रहेगा या नहीं इस बारे में अंतिम निर्णय दिसंबर के मध्य में अग्रिम कर के आंकड़े उपलब्ध होने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और बजट बनाने वाली उनकी टीम द्वारा लिया जाएगा।

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, 'एफआरबीएम अधिनियम के तहत राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3.8 फीसदी तक रखने की सहूलियत दी गई है। हमारा लक्ष्य 3.5 फीसदी के आसपास इसे सीमित रखने का है लेकिन यह अग्रिम कर संग्रह के आंकड़े आने पर निर्भर करेगा।'

एक अन्य अधिकारी ने कहा कि 3.3 फीसदी का लक्ष्य हासिल करना अब करीब-करीब मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा, 'कर राजस्व की स्थिति को देखते हुए घाटा कहीं ज्यादा हो सकता है। हमारा मकसद इसे एफआरएमबी अधिनियम की अनुमति सीमा के दायरे में रखने का होगा।'

ऐसा माना जा रहा है कि संभावित व्यय को आगे बढ़ाने और बजट से इतर वित्तपोषण के बावजूद राजकोषीय घाटे का लक्ष्य हासिल करना संभव नहीं होगा। राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम में 2018 में संशोधन करने के बाद राजकोषीय घाटे को किसी भी साल में 0.5 फीसदी से अधिक नहीं हो सकता है और ऐसा होने पर उसकी वाजिब वजह बतानी होगी। इनमें युद्ध, राष्ट्रीय सुरक्षा, कृषि क्षेत्र में गंभीर संकट, व्यापक प्राकृतिक आपदा, बड़े संरचनात्मक आर्थिक सुधार या पिछले चार तिमाहियों के औसत से किसी भी तिमाही में उत्पादन वृद्धि में 3 फीसदी की गिरावट आने जैसे कारण बताए गए हैं।

चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 7.04 लाख करोड़ रुपये रखा गया है। ऐसे में इसे जीडीपी के 3.3 फीसदी तक सीमित रखने के लिए वित्त वर्ष 2020 में








- दिसंबर मध्य में अग्रिम कर संग्रह के आंकड़े आने के बाद लिया जाएगा अंतिम निर्णय
- चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3.3 फीसदी तक सीमित रखने का है लक्ष्य
- अधिकारियों ने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करना लगभग नामुमकिन

नॉमिनल जीडीपी में 12 फीसदी वृद्धि का अनुमान लगाया गया था। लेकिन अक्टूबर के अंत तक राजकोषीय घाटा पूरे साल के लक्ष्य का 102.4 फीसदी पर पहुंच गया। जुलाई-सितंबर तिमाही का जीडीपी आंकड़ा उपलब्ध है, जिसके आधार पर पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) की गणना के अनुसार राजकोषीय घाटा नॉमिनल जीडीपी का 6.6 फीसदी रहा।

अधिकारियों ने भी अब मान लिया है पूरे साल में नॉमिनल जीडीपी 12 फीसदी के आसपास नहीं रहेगी। अप्रैल-जून में यह 6 फीसदी और जुलाई-सितंबर में भी 6 फीसदी थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2019-20 के लिए 5 फीसदी जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है। ऐसे में अगर 3 फीसदी अपस्फीतिकारक को भी मान लें तो नॉमिनल जीडीपी वृद्धि करीब 8 फीसदी होगी। इसका मतलब है हुआ कि राजकोषीय घाटा 3.5 फीसदी तक बढ़ सकता है।

विनिवेश लक्ष्य हासिल होने उम्मीद है और गैर-कर राजस्व भी बढ़ सकता है लेकिन कर राजस्व तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपये कम रहने की आशंका है। संसद में सोमवार को प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-नवंबर के दौरान केंद्रीय जीएसटी संग्रह बजट अनुमान से करीब 40 फीसदी कम रहा है। वित्त मंत्री नरेंद्र अणुराग ठाकुर ने लोकसभा में लिखित जवाब में कहा कि अप्रैल-नवंबर में वास्तविक केंद्रीय जीएसटी संग्रह 3.3 लाख करोड़ रुपये रहा जबकि बजट में लक्ष्य 5.26 लाख करोड़ रुपये था।

इस दौरान कॉर्पोरेशन कर संग्रह पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 1 फीसदी घट गया।



संक्षेप में

एनबीएफसी विदेश में बढ़त के अवसर तलाशेंगी

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) विदेशी बाजारों से वित्त पोषण के अवसर तलाशेंगी क्योंकि स्थानीय वित्त पोषण के लिए परिस्थितियाँ दबाव में हैं। फिच रेटिंग्स ने मंगलवार को यह बात कही। हालांकि, रेटिंग एजेंसी का मानना है कि विदेशी बाजारों से वित्त पोषण मजबूत ऋण बुनियाद वाली कुछ बड़ी इकाइयों तक सीमित रहेगा।

ग्रोफर्स का परिचालन 27 शहरों तक पहुंचा

ऑनलाइन सुपरमार्केट ग्रोफर्स ने परिचालन का दायरा बढ़ाकर 27 शहरों तक पहुंचा दिया है। इसमें वडोदरा, मेरठ, रोहतक, पानीपत, आगरा और दुर्गापुर शामिल हैं। ग्रोफर्स के सह-संस्थापक और सीईओ अलबिंदर ढीढसा ने बताया, इस विस्तार के साथ हमारी योजना गैर-महानगरों में ग्राहकों तक पहुंचने और उनके लिए विश्वस्तरीय किराने का सामान पेश करने की है।

एकीकृत कारोबार शहर श्रीसिटी में आज मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (एमएमआरसी) के लिए रोलिंग स्टॉक का उत्पादन शुरू किया। इस अवसर पर स्पोर ने कहा, 'हम अगले तीन से चार

क्षमता दोगुनी करेगी अल्ट्रास्टॉम

श्रीसिटी के अपने विनिर्माण संयंत्र की क्षमता सालाना 480 ट्रेन करने की योजना

गिरीश बाबू चेन्नई, 10 दिसंबर

ट्रेन एवं संबंधित प्रणाली बनाने वाली फ्रांस की कंपनी अल्ट्रास्टॉम आंध्र प्रदेश के श्रीसिटी में अपने विनिर्माण संयंत्र की क्षमता दोगुनी करने की योजना बना रही है। कंपनी निकट भविष्य में इस संयंत्र की क्षमता सालाना 480 ट्रेन करने की तैयारी कर रही है। अल्ट्रास्टॉम के प्रबंध निदेशक (भारत एवं दक्षिण एशिया) एलेन स्पोर ने कहा कि कंपनी मार्च 2023 तक कर्मचारियों संख्या को बढ़ाकर 8,000 करेगी जो फिलहाल 5,000 है। हालांकि कंपनी ने कहा है कि उसे भारतीय कंपनी के तौर पर नहीं देखा जाता है और वित्त पोषण एजेंसियों द्वारा शर्त लगातार कुछ निविदा में भाग लेने से रोका जा रहा है जिससे वह खुश नहीं है।

कंपनी ने चेन्नई के समीप आंध्र प्रदेश के टाडा में एकीकृत कारोबार शहर श्रीसिटी में आज मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (एमएमआरसी) के लिए रोलिंग स्टॉक का उत्पादन शुरू किया। इस अवसर पर स्पोर ने कहा, 'हम अगले तीन से चार

क्षमता विस्तार



■ कंपनी मार्च 2023 तक कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाकर 8,000 करेगी जो फिलहाल 5,000 है

■ कंपनी ने श्रीसिटी फैक्टरी में मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के लिए रोलिंग स्टॉक का उत्पादन शुरू किया

महीनों के दौरान श्रीसिटी में विनिर्माण क्षमता को मौजूदा 240 ट्रेन सालाना से बढ़ाकर 480 ट्रेन करने की योजना बना रहे हैं। इस फैक्टरी में फिलहाल चेन्नई मेट्रो, मॉन्ट्रियल मेट्रो और मुंबई मेट्रो लाइन 3 के ऑर्डरों के लिए उत्पादन हो रहा है। फिलहाल उत्पादन में घरेलू और निर्यात का अनुपात 50:50 है और कंपनी इसे सहज अनुपात मान रही है। जबकि कंपनी ने करीब 75 फीसदी स्थानीयकरण किया है।

इस संयंत्र में क्षमता विस्तार संबंधी कार्यों के 2021 के मध्य तक पूरा होने की उम्मीद है यानी यह अगले साल की दूसरी छमाही तक तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा, 'पिछले 18 महीनों के दौरान हमने हर महीने करीब 100 लोगों को जोड़ा है।' भारत में कंपनी के इंजीनियरिंग एवं विनिर्माण समय 37 लाख घंटे हैं जो बढ़कर मार्च 2023 तक 70 लाख घंटे होने की उम्मीद है। एमएमआरसी लाइन 3 के लिए

पहले मेट्रो ट्रेन की आपूर्ति नवंबर 2020 तक होगी। एमएमआरसी लाइन 3 के लिए उसे 45.2 करोड़ यूरो का ऑर्डर मिला है जिसमें 31 हल्के एवं आठ कोच वाले पूरी तरह तैयार आधुनिक मेट्रो ट्रेनों का विनिर्माण शामिल है। कंपनी इस परियोजना को 2022 तक पूरा करने की उम्मीद कर रही है।

अल्ट्रास्टॉम को हाल में सिडनी मेट्रो के अगले चरण के लिए रोलिंग स्टॉक और सिग्नल प्रणाली की आपूर्ति के लिए एनआरटी से ठेका मिला है। उस परियोजना के लिए पूरी तरह स्वचालित 23 मेट्रोपोलिस ट्रेन का उत्पादन श्रीसिटी फैक्टरी में किया जाएगा।

चेन्नई मेट्रो के लिए इस फैक्टरी में 42 ट्रेन तैयार किए गए हैं और चालू वित्त वर्ष के दौरान 10 अतिरिक्त ट्रेनों का उत्पादन हो रहा है। इसके अलावा कंपनी अन्य शहरों में नई मेट्रो परियोजनाओं के लिए निविदा में भी भाग ले रही है। कंपनी कोयम्बटूर में ट्रेक्शन कलपुर्जा एवं अन्य उत्पादों के लिए एक विनिर्माण संयंत्र स्थापित कर रही है जिसे अगले साल की दूसरी छमाही तक तैयार होने की उम्मीद है।

चेन्नई मेट्रो रेल की विस्तार परियोजनाओं पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अल्ट्रास्टॉम उसमें भाग नहीं ले सकी क्योंकि जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी (जेआईसीए) से ऋण के लिए तमाम शर्तें लगाई गई थीं।

बैंकों ने कर्ज पर ब्याज दरों में की कटौती

निधि राय/एजेंसियां मुंबई, 10 दिसंबर

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा ने बेंचमार्क उधारी दर यानी सीमांत लागत पर आधारित उधारी दर (एमसीएलआर) में कटौती की है। बैंक का एक साल का एमसीएलआर अब 8.25 फीसदी होगा, जो एक साल के मौजूदा एमसीएलआर के मुकाबले 5 आधार अंक कम है। ब्याज दर में यह कटौती 12 दिसंबर 2019 से प्रभावी होगी।

इसके अलावा ओवरनाइट व एक महीने का एमसीएलआर 20 आधार अंक घटाकर 7.85 फीसदी से 7.65 फीसदी कर दिया गया है और तीन महीने व छह महीने के एमसीएलआर में 10 आधार अंक की कटौती की गई है, जो अब क्रमशः 7.80 फीसदी व 8.10 फीसदी रह गई है।

इसी तरह एचडीएफसी बैंक ने भी हर अवधि के अपने कर्ज की ब्याज दर 15 आधार अंक घटा दी है। बैंक की वेबसाइट के मुताबिक, नई ब्याज दरें 7 दिसंबर 2019 से प्रभावी होंगी। हालिया कटौती के बाद 6 महीने का एमसीएलआर 10 आधार अंक घटकर 8 फीसदी, एक साल का एमसीएलआर 15 आधार अंक घटकर 8.15 फीसदी, दो साल की दर 15 आधार अंक घटकर 8.25 फीसदी और तीन साल की दर 15 आधार अंक घटकर 8.35 फीसदी रह गई है।

देश के सबसे बड़े सार्वजनिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने एक साल का एमसीएलआर 10 आधार अंक घटाने का ऐलान किया है, वहीं बैंक ऑफ इंडिया ने एमसीएलआर में 20 आधार अंक की कटौती की है। 5 दिसंबर को मौद्रिक नीति की घोषणा के लिए आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था, हम हालांकि ब्याज दरें घटाने की जल्दी में नहीं हैं, लेकिन केंद्रीय बैंक यह सुनिश्चित करने पर काम



■ बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक व एचडीएफसी बैंक ने घटाई एमसीएलआर

■ बीओबी ने सीमांत लागत पर आधारित उधारी दर 5 आधार अंक घटाई

■ एचडीएफसी बैंक ने ब्याज दरों में की 15 आधार अंक की कटौती

करेगा कि बैंक ब्याज कटौती का फायदा प्रभावी तौर पर दे। उन्होंने यह भी कहा था कि आरबीआई ने इस साल फरवरी से अक्टूबर तक रिपो दर 135 आधार अंक घटाई है और बैंकों ने उधारी दरों में 44 अंकों की कटौती की है और उधारी दर पर इसका पूरा असर अभी देखा जाना बाकी है।

इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के यूको बैंक ने अपनी विभिन्न अवधि के कर्ज पर सीमांत लागत पर आधारित उधारी दर (एमसीएलआर) में 10 आधार अंक की कटौती की है। नई दरें मंगलवार से प्रभावी हो गईं। बैंक की एमसीएलआर दर अब 10 आधार अंक घटकर 8.30 फीसदी रह गई। इससे पहले यह 8.40 फीसदी थी। बैंक की वित्तीय में इसकी जानकारी दी गई है। बैंक के विभिन्न अवधि के कर्ज यानी एक दिन, एक माह, तीन माह और छह माह अवधि के कर्ज पर दरों में 10 आधार अंकों की कटौती कर दी गई है। बैंक ने कहा है कि इसके साथ ही उसके एमसीएलआर से जुड़े सभी अवधि के कर्ज की ब्याज दर इसी अनुपात में सस्ते हो जाएंगे।

नवंबर में यात्री वाहनों की बिक्री पर चोट

भाषा नई दिल्ली, 10 दिसंबर

यूटिलिटी वाहनों की बिक्री में उछाल के बावजूद घरेलू बाजार में कुल मिलाकर यात्री वाहनों की बिक्री में नवंबर में फिर गिरावट आई। इससे पिछले महीने यात्री वाहनों की बिक्री में थोड़ी बढ़ोतरी हुई थी। कमजोर मांग के बीच कंपनियों ने डीलरों को वाहनों की आपूर्ति कम की है। यूटिलिटी वाहनों की बिक्री में करीब 33 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

भारतीय वाहन विनिर्माताओं के संगठन सायम के आंकड़ों के अनुसार, नवंबर में यात्री वाहनों की बिक्री 0.84 फीसदी की मामूली गिरावट के साथ 2,63,773 वाहन रही। नवंबर, 2018 में यात्री वाहनों की बिक्री 2,66,000 वाहन रही थी। यात्री वाहनों में कार, आठ सीट तक के यूटिलिटी वाहन और वैन शामिल होते हैं। इस दौरान यूटिलिटी वाहनों की बिक्री में उछाल देखी गई। अगर यूटिलिटी वाहनों का समर्थन नहीं मिला होता तो समीक्षाधीन अवधि में यात्री वाहनों की बिक्री और नीचे आ जाती। नवंबर में यूटिलिटी वाहनों की बिक्री 32.7 फीसदी बढ़कर 92,739 वाहन रही, जो एक साल पहले समान महीने में 69,884 वाहन रही थी।

आंकड़ों के अनुसार, समीक्षाधीन महीने में घरेलू बाजार में कारों की बिक्री 10.83 फीसदी की गिरावट के साथ 1,60,306 वाहन रह गई, जो नवंबर, 2018 में 1,79,783 वाहन रही थी। सायम के महानिदेशक राजेश मेनन ने यहां



यूटिलिटी वाहनों की बिक्री 33 फीसदी बढ़ी

संवाददाताओं से कहा, यात्री वाहन खंड के समक्ष चुनौतियां कायम हैं। हमें यह याद रखने की जरूरत है कि मौजूदा आंकड़ों की तुलना पिछले माह के निचले आधार प्रभाव से की गई है। उन्होंने कहा कि यूटिलिटी वाहन खंड में नए वाहनों की पेशकश की वजह से अक्टूबर और नवंबर में इनकी बिक्री बढ़ी है।

त्योहारी सीजन और यूटिलिटी वाहन खंड में नए वाहनों की पेशकश से अक्टूबर में यात्री वाहनों की बिक्री मामूली बढ़ी थी। इससे यात्री वाहन खंड की बिक्री में लगातार 11 माह से जारी गिरावट का सिलसिला रुक गया था। मेनन ने कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष के बाकी महीनों में यात्री वाहनों की बिक्री धीमी रहने के आसार हैं। उन्होंने कहा कि सायम सरकार से देशभर में बीएस-छह अनुकूल ईंधन फरवरी से ही लाने के लिए बातचीत कर रही है ताकि बीएस-छह वाहनों की बिक्री बढ़ाई जा सके।

अभी सरकार ने देशभर में बीएस-छह ईंधन पेश करने के लिए 1 अप्रैल, 2020 की तारीख तय की है। अभी बीएस-छह ईंधन सिर्फ एनसीआर क्षेत्र में उपलब्ध है।

इसी तरह नवंबर में मोटोसाइकलों की बिक्री भी 14.87 फीसदी की गिरावट के साथ 8,93,538 रह गई, जो एक साल पहले समान महीने में 10,49,651 रही थी। नवंबर में दोपहिया की कुल बिक्री भी 14.27 फीसदी घटकर 14,10,939 रह गई, जो इससे पिछले वर्ष की समान अवधि में 16,45,783 रही थी। नवंबर में स्कूटरों की बिक्री 11.83 फीसदी घटकर 4,59,851 रह गई, जो नवंबर, 2018 में 5,21,542 रही थी। वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री 14.98 फीसदी घटकर 61,907 रह गई।

यात्री वाहन खंड में माह के दौरान मासित सुजुकी इंडिया की बिक्री 3.31 फीसदी घटकर 1,39,133 रह गई। हुंडई मोटर इंडिया की बिक्री 2.04 फीसदी बढ़कर 44,600 रही जबकि महिंद्रा एंड महिंद्रा की बिक्री 9.62 फीसदी घटकर 14,633 वाहन रह गई। दोपहिया खंड में हीरो मोटोकॉर्प की बिक्री 15.81 फीसदी घटकर 5,05,994 रह गई। वहीं उसकी प्रतिद्वंद्वी होंडा मोटोसाइकल एंड स्कूटर इंडिया की बिक्री 5.22 फीसदी घटकर 3,73,283 रह गई। इसी तरह चेन्नई की टीवीएस मोटर की बिक्री 26.52 फीसदी घटकर 1,91,222 वाहन रह गई। माह के दौरान विभिन्न श्रेणियों में वाहनों की बिक्री 12.05 फीसदी घटकर 17,92,415 रह गई, जो नवंबर, 2018 में 20,38,007 वाहन रही थी।

ईकॉम एक्सप्रेस में निवेश करेगा सीडीसी ग्रुप

ब्रिटेन की विकास वित्त पोषण संस्था और दक्षिण एशिया एवं अफ्रीका के प्रमुख निवेशक सीडीसी ग्रुप ने वारवंत पिंकस के निवेश वाली ईकॉम एक्सप्रेस में 3.6 करोड़ डॉलर का इक्विटी निवेश करने की घोषणा की है। ईकॉम एक्सप्रेस तेजी से उभरने वाली प्रौद्योगिकी समर्थ लॉजिस्टिक्स कंपनी है।

वेतन बढ़ाकर कर्मियों को रोक रही इन्फोसिस

विभू रंजन मिश्रा और समरान अहमद बेंगलूरु, 10 दिसंबर

प्रमुख आईटी सेवा कंपनी इन्फोसिस में कर्मचारियों के छोड़ने की दर 20 फीसदी से अधिक लगातार दर्ज की जा रही है जो इस श्रेणी का सर्वाधिक आंकड़ा है। ऐसे में अपने कर्मचारियों को रोकने के लिए कंपनी ने एक नई रणनीति अपनाई है। बेंगलूरु की इस कंपनी ने नियुक्ति प्रक्रिया को आसान बनाने, कर्मचारियों को तेजी से प्रगति करने के लिए अवसर उपलब्ध कराने और शीर्ष कौशल वाले लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रही है। उदाहरण के लिए, कंपनी ने फ्रेशर्स करियर में तेजी से प्रगति के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत कंपनी प्रशिक्षण अवधि के खत्म होने के बाद बेहतर प्रदर्शन करने वाले 5 फीसदी लोगों को चुनती है और अगले पदोन्नति के लिए आकलन के समय उन्हें अन्य कर्मचारियों के मुकाबले प्राथमिकता दी जाती है। कंपनी ने एक अन्य कार्यक्रम



डिजिटल टैग को भी लॉन्च किया है जिसके तहत डिजिटल तैयारी के साथ लोगों की पहचान की जाती है और उनके कौशल एवं कुशलता के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। कर्मचारी प्रशिक्षण कार्यक्रम, परियोजना कार्य और आंतरिक प्रमाणन कार्यक्रम से गुजरने के बाद कंपनी द्वारा पहचान की गई चार प्रमुख कौशल और 32 डिजिटल कौशल में से किसी में भी अपनी कुशलता के आधार पर 'डिजिटल टैग' कमा सकता है। इन्फोसिस के कार्यकारी उपाध्यक्ष एवं समूह

■ कंपनी में कर्मचारियों के नौकरी छोड़ने की दर 20 फीसदी से अधिक

■ बेहतर प्रदर्शन करने वालों को कौशल आधारित विशेष तिमाही बोनस दे रही कंपनी

■ कर्मचारियों के डिजिटल कौशल की पहचान के लिए डिजिटल टैग पहल

■ आईआईटी एवं अन्य शीर्ष इंजीनियरिंग कॉलेजों से नियुक्तियां दोगुनी

की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब नई प्रौद्योगिकी भी आ रही है। इसलिए प्रतिभागों के प्रबंधन एवं प्रशिक्षण के तरीके भी बदल रहे हैं। कंपनी अपने प्रतिभा भंडार को समृद्ध करने के लिए आईआईटी और एनआईटी जैसे प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थानों से नियुक्तियों की संख्या दोगुनी करने पर विचार कर रही है। इन उम्मीदवारों को परिसर से सामान्य भर्ती के मुकाबले दोगुने वेतन पर 'पावर प्रोग्राम' के तहत नियुक्त किए जा रहे हैं। कंपनी ने शीर्ष प्रतिभा संपन्न उम्मीदवारों की नियुक्ति प्रक्रिया को आंतरिक तौर पर पावर प्रोग्राम कहा है। पिछले साल टियर-1 इंजीनियरिंग कॉलेजों से नियुक्तियों की संख्या 500 थी। कंपनी हर साल इस संख्या के दोगुना होने की उम्मीद कर रही है। पावर प्रोग्राम फ्रेशर्स को नियुक्ति के अलावा आंतरिक कोडिंग प्रतिस्पर्धा के जरिये चयनित मौजूदा कर्मचारियों के लिए भी खुला है। शंकर ने कहा, 'पावर प्रोग्राम बनते ही उनका वेतन दोगुना हो जाता है। हर साल पावर प्रोग्रामों की संख्या दोगुनी होती दिख रही है।'

4 विविध समाचार

केंद्र सरकार लाए नई प्रत्यक्ष कर संहिता

वित्त पर संसद की स्थायी समिति ने केंद्र से कहा है कि वह जीएसटी संग्रह में गिरावट की समस्या का हल खोजे

इंद्रविजल धस्माना
नई दिल्ली, 10 दिसंबर

वित्त पर संसद की स्थायी समिति ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह वस्तु एवं सेवा कर के संग्रह में गिरावट के मुद्दे का समाधान खोजे। वित्त मंत्री ने राज्यों को हर्जाने के भुगतान में देरी के लिए इसी कारण को जिम्मेदार बताया था। समिति के आंकड़ों के मुताबिक केंद्र ने चालू वित्त वर्ष के पहले चार महीनों में राज्यों को वस्तु एवं सेवा कर के तहत राजस्व नुकसान के एवज में 45,745 करोड़ रुपये का हर्जाना दिया है। इन आंकड़ों के मुताबिक केंद्र ने हर दो महीनों में राज्यों को हर्जाने का भुगतान किया। इस तरह मई में पहले दो महीनों के लिए 17,789 करोड़ रुपये और जुलाई में जून और जुलाई महीनों के 27,956 करोड़ रुपये के हर्जाने का भुगतान किया गया।

राज्यों की शिकायत है कि उन्हें इन चार महीनों के बाद हर्जाना नहीं मिला है। इसी मसले को लेकर राज्यों के प्रतिनिधि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिले थे। हाल में एक कार्यक्रम में सीतारमण ने कहा था कि जीएसटी पर उपकर राज्यों का हर्जाना पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा, ‘राज्यों के वित्त मंत्री मुझसे मिले थे। उनकी चिंताएं जायज हैं। हम अपना वादा पूरा करेंगे।’ उन्होंने कहा था कि दरों में कटौती और इनपुट टैक्स क्रेडिट

मकान और दुकान के बीमा के मानक नियम

नम्रता आचार्य
हैदराबाद, 10 दिसंबर

बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) मकानों और दुकानों के बीमा के लिए जल्द ही मानक नियम जारी कर सकता है। इस समय छोटी दुकानों और घरों के बीमा कवर के लिए कोई मानक नहीं है। हालांकि इन इकाइयों (घर या दुकान) को भी आग एवं संबंधित जोखिम बीमा में कवर किया जा सकता है, जो मुख्य रूप से बड़ी इकाइयों के लिए होता है।


इस घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले स्रोत ने बताया कि आईआरडीएआई अगले कुछ महीनों में नियम जारी कर सकता है। इस मानकीकरण में किफायती बीमा एवं शांति का सुनिश्चित होना, जो सामान्य जोखिमों से निपटने और उबरने में मददगार साबित होंगे। इनमें कवर, प्रीमियम और लाभ मानकों के निश्चित स्तर अपनाए जाएंगे। पिछले कुछ वर्षों के दौरान ऐसे मानकीकरण की जरूरत बढ़ी है क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं के कारण छोटे घरों और कारोबारी प्रतिष्ठानों का घाटा बढ़ा है।

आईआरडीएआई ने मई में मकानों कार्यालयों, होटलों, दुकानों और सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योगों (एमएसएमई) के जोखिम एवं संबंधित जोखिम बीमा के ढांचे में बदलाव का प्रारूप जारी किया था। नियामक ने इस खंड की विशेष जरूरतों पर विचार करने के लिए एक कार्यदल गठित किया था।

कार्यदल ने कई सिफारिशों की थीं, जिसके बाद योजनाओं की डिजाइन पर काम करने और प्रस्तावित पॉलिसी की शब्दावली तैयार करने का फैसला किया गया। इनमें स्पष्ट भाषा में नियम एवं शर्तें शामिल हैं, जिसमें लक्षित खंडों को ध्यान में रखा गया है।

समूह ने इस खंड की बीमा योजनाओं को मानक बनाने का भी सुझाव दिया था। इसने सुझाव दिया था कि किसी खंड से जुड़े सभी जोखिमों को बुनियादी योजना में शामिल किया जाए ताकि भ्रामक सलाह देकर बीमा योजना बेचने पर रोक लगाई जा सके। इसके अलावा कार्यदल ने सभी घरों के लिए एक

संसदीय समिति ने केंद्र को दिया निर्देश



कम होने के कारण जीएसटी ढांचे में अवरोध पैदा हुआ है। स्थायी समिति ने जीएसटी के चट्टे संग्रह को लेकर चिंता जताई। समिति ने सरकार से कहा कि वह जल्द से जल्द सभी समस्याओं का समाधान करे ताकि राजस्व में बढ़ोतरी हो।

समिति ने राजस्व विभाग से कहा कि वह इनपुट टैक्स क्रेडिट जैसे प्रावधानों का दुरुपयोग रोकने के लिए चौकस रहे और अनुपालनाओं की निगरानी बढ़ाए। इसने कहा कि करदाताओं से सिस्टेमेंटिक रिपोर्ट और फीडबैक सर्वेक्षण संग्रहित किए जाएं

ताकि यह आकलन किया जा सके कि जीएसटी का परिचालन आसानी से हो रहा है या नहीं।

प्रत्यक्ष कर संहिता बने

समिति यह भी चाहती है कि सरकार कर संग्रह बढ़ाने के लिए नई प्रत्यक्ष कर संहिता बनाए। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के पूर्व सदस्य की अगुआई में गठित कार्यदल पहले ही अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री को सौंप चुका है। हालांकि रिपोर्ट को अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। कहा जा रहा

है कि कार्यदल ने सालाना 2.5 लाख रुपये की न्यूनतम सीमा में बढ़ोतरी और कर स्लैब में बदलाव की सिफारिश की है। संसदीय समिति ने कहा कि आकलन वर्ष 2018-19 में करदाताओं को संख्या 8.45 करोड़ थी, जिसमें 8.04 करोड़ व्यक्तिगत आयकरदाता थे। देश की आबादी 1.30 अरब मानते हुए देश में करदाताओं का यह प्रतिशत महज 6.2 फीसदी होता है।

कार्यदल ने कहा कि यह आकलन किया जा सके कि जीएसटी का परिचालन आसानी से हो रहा है या नहीं।

रुचिका चित्रवंशी
नई दिल्ली, 10 दिसंबर

ऑडिटरों को जल्द ही ऑडिट के तहत आने वाली कंपनियों में उधार लिए गए फंड के उपयोग, अहम वित्तीय अनुपातों पर टिप्पणी और कंपनी के परिचालन को प्रभावित कर सकने वाले कारकों के बारे में विस्तृत रिपोर्ट देनी पड़ सकती है क्योंकि सरकार ने ऑडिट का दायरा बढ़ाने और वित्तीय ब्योरों की जांच-पड़ताल सुधारने की योजना बनाई है।

कंपनी मामलों का मंत्रालय कंपनी ऑडिटर्स रेग्यूलेशन ऑर्डर (सीएआरओ) को संशोधित करने की योजना बना रहा है। मंत्रालय ने अगले साल की शुरुआत में ऑडिटरों की नियमावली में कई नियम शामिल करने की घोषणा की है।

अधिकारी ने कहा, ‘इस विषय कई क्षेत्रों से जुड़ा है। हम अन्य नियमकों के साथ विचार-विमर्श के बाद संशोधित आदेश जारी कर सकेंगे।’ स्पष्टता के अभाव में वर्ष 2016 में सीएआरओ से ऋण धनराशि के उपयोग के ऑडिट की जरूरत खत्म की गई थी। संशोधित सीएआरओ के जरिये सरकार चाहती है कि ऑडिटर ‘फंड टू फंड’ ऑडिट मुहैया कराएं ताकि यह पता लगाया जा सके कि एक कंपनी

संसदीय समिति ने केंद्र को दिया निर्देश

■वित्त मंत्री ने राज्यों को हर्जाने के भुगतान में देरी के लिए जीएसटी संग्रह में गिरावट को बताया था जिम्मेदार

■केंद्र ने चालू वित्त वर्ष के पहले चार महीनों में राज्यों को 45,745 करोड़ रुपये जीएसटी हर्जाना दिया

■समिति ने राजस्व विभाग से कहा कि वह इनपुट टैक्स क्रेडिट जैसे प्रावधानों का दुरुपयोग रोकने के लिए चौकस रहे

ताकि यह आकलन किया जा सके कि जीएसटी का परिचालन आसानी से हो रहा है या नहीं।

प्रत्यक्ष कर संहिता बने

समिति यह भी चाहती है कि सरकार कर संग्रह बढ़ाने के लिए नई प्रत्यक्ष कर संहिता बनाए। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के पूर्व सदस्य की अगुआई में गठित कार्यदल पहले ही अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री को सौंप चुका है। हालांकि रिपोर्ट को अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। कहा जा रहा

है कि कार्यदल ने सालाना 2.5 लाख रुपये की न्यूनतम सीमा में बढ़ोतरी और कर स्लैब में बदलाव की सिफारिश की है। संसदीय समिति ने कहा कि आकलन वर्ष 2018-19 में करदाताओं को संख्या 8.45 करोड़ थी, जिसमें 8.04 करोड़ व्यक्तिगत आयकरदाता थे। देश की आबादी 1.30 अरब मानते हुए देश में करदाताओं का यह प्रतिशत महज 6.2 फीसदी होता है।

कर रिफंड की बढ़ी राशि

समिति ने कहा कि राजस्व विभाग ने बड़ी राशि का कर रिफंड दिया है। इसके अलावा रिफंड पर ब्याज का बोझ भी उठाया है। वित्त वर्ष 2017-18 प्रत्यक्ष कर के रिफंड की राशि 1.51 लाख करोड़ रुपये और ब्याज भुगतान 17,603 करोड़ रुपये था। वहीं वित्त वर्ष 2018-19 में कर रिफंड 1.61 लाख करोड़ रुपये और ब्याज भुगतान 20,566 करोड़ रुपये रहा।

कर मुकदमों पर जताई चिंता

समिति ने इस बात पर भी चिंता जताई कि राजस्व विभाग न्यायाधिकरणों और अदालतों में बड़ी तादाद में मुकदमे दायर करता है, लेकिन उसकी सफलता का स्तर बहुत कम है। आधुनिक कर प्रबंधन प्रणाली में कुशलता एक अहम पहलू है। इसलिए समिति ने राय दी है कि कर प्रशासन में व्यवस्था से संबंधित बदलाव किए जाने जरूरी है।

राजस्थान सौर ऊर्जा पर लगाएगा उपकर

श्रेया जय
नई दिल्ली, 10 दिसंबर

राजस्थान सरकार ने मौजूदा और भविष्य की सभी सौर बिजली परियोजनाओं पर सालाना 2.5 लाख रुपये और 5 लाख रुपये प्रति मेगावाॉट की दर से उपकर लगाने की योजना बनाई है। यह शुल्क इस पर निर्भर करेगा कि संयंत्र अपनी बिजली कहाँ बेचते हैं। राजस्थान देश में सर्वाधिक सौर बिजली की संभावना वाला राज्य है।

सौर ऊर्जा नीति के नवीनतम मसौदे में राज्य सरकार ने पंजीकरण शुल्क में भी 5 से 30 गुने तक की वृद्धि करने का प्रस्ताव रखा है। इससे राज्य में परियोजना लागत और अक्षय ऊर्जा शुल्कों में बढ़ोतरी हो सकती है। फिलहाल यहाँ सूर्य की रोशनी प्रचुर मात्रा में होने के कारण शुल्क की दरें कम हैं।

राजस्थान सौर ऊर्जा नीति-2019 में राज्य में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान अक्षय ऊर्जा विकास कोष (आरईडीएफ) की शुरुआत की गई है। विडंबना है कि इस कोष में रकम जुटाने के लिए राज्य सरकार सौर बिजली परियोजनाओं पर ही उपकर लगा रही है। इस साल आई नई सौर ऊर्जा नीति 2014 में बनी नीति का स्थान लेगी। नीति के मसौदे में राज्य सरकार ने बताया है कि राजस्थान में स्थापित

सील हांगी बिना अनुमति वाली प्लास्टिक इकाइयां

बीएस संवाददाता
नई दिल्ली, 10 दिसंबर

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के सख्त रुख के बाद दिल्ली सरकार ने कैरी बैग/प्लास्टिक थैलियों के निर्माण, पुनर्चक्रण और बहुस्तरीय पैकेजिंग से जुड़ी ऐसी प्लास्टिक इकाइयों को उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए चेतावनी दी है, जो बिना दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) की अनुमति के चल रही हैं। सरकार ने इन इकाइयों को अनुमति लेने का एक मौका भी दिया है।

अनुमति न लेने वाली इन प्लास्टिक इकाइयों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। एनजीटी ने सोमवार को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को वार्ड (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत अनुमति लेने के लिए 25 दिसंबर तक वक्त दिया गया है।

ऑडिटरों की नियमावली में और नियम जोड़ने की योजना

सरकार ने ऑडिट का दायरा बढ़ाने और छानबीन में सुधार के लिए कंपनी ऑडिटर्स रेग्युलेशन ऑर्डर 2016 में संशोधन की योजना बनाई

रुचिका चित्रवंशी
नई दिल्ली, 10 दिसंबर

ऑडिटरों को जल्द ही ऑडिट के तहत आने वाली कंपनियों में उधार लिए गए फंड के उपयोग, अहम वित्तीय अनुपातों पर टिप्पणी और कंपनी के परिचालन को प्रभावित कर सकने वाले कारकों के बारे में विस्तृत रिपोर्ट देनी पड़ सकती है क्योंकि सरकार ने ऑडिट का दायरा बढ़ाने और वित्तीय ब्योरों की जांच-पड़ताल सुधारने की योजना बनाई है।

कंपनी मामलों का मंत्रालय कंपनी ऑडिटर्स रेग्यूलेशन ऑर्डर (सीएआरओ) को संशोधित करने की योजना बना रहा है। मंत्रालय ने अगले साल की शुरुआत में ऑडिटरों की नियमावली में कई नियम शामिल करने की घोषणा की है।

अधिकारी ने कहा, ‘इस विषय कई क्षेत्रों से जुड़ा है। हम अन्य नियमकों के साथ विचार-विमर्श के बाद संशोधित आदेश जारी कर सकेंगे।’ स्पष्टता के अभाव में वर्ष 2016 में सीएआरओ से ऋण धनराशि के उपयोग के ऑडिट की जरूरत खत्म की गई थी। संशोधित सीएआरओ के जरिये सरकार चाहती है कि ऑडिटर ‘फंड टू फंड’ ऑडिट मुहैया कराएं ताकि यह पता लगाया जा सके कि एक कंपनी

क्या बदलेगा

■कंपनी मामलों के मंत्रालय ने अगले साल की शुरुआत से ऑडिटरों की नियमावली में और नियम शामिल करने की घोषणा की

■इस कदम से उन गतिविधियों पर अंकुश लगेगा, जिनके तहत कंपनी कार्यशील पूंजी के लिए धनराशि उधार लेती है, लेकिन इसका उपयोग अन्य कार्यों के लिए करती है

■ऑडिटरों को इक्विटी के मुकाबले ऋण जैसे अहम वित्तीय अनुपातों पर टिप्पणी करने के लिए कहा जा सकता है

द्वारा दूसरी कंपनी या संबंधित पक्षों को ऋण के रूप में दिए जाने वाले धन का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है।

कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स के संस्थापक पवन विजय ने कहा, ‘इस पीछे मकसद ऐसी धनराशि के हस्तांतरण पर अंकुश लगाना है क्योंकि यह धनराशि ऐसी कंपनी को दी जा रही है जो अपने आप में ऋण प्राप्त करने लिए योग्य नहीं थी। इसके अलावा

आरसेप में जाते तो होता किसानों पर असर: गोयल

शुभायन चक्रवर्ती
नई दिल्ली, 10 दिसंबर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने संकेत दिया है कि भारत हाल-फिलहाल प्रस्तावित क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसेप) में शामिल होने नहीं जा रहा है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज संसद में कहा कि यह सौदा भारत के हित के लिए नुकसानदेह था।

गोयल ने कहा कि उन्होंने बातचीत खत्म होने से पहले भी इस समझौते का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि वह आरएसएस समर्थित स्वदेशी जागरण मंच के सदस्य हैं जो 2012 से ही आरसेप के विरोध में सबसे आगे रहा है। मंत्री ने जोर देकर कहा, ‘यह अपने आप में हास्यास्पद है कि कुछ लोग आरसेप बहस में तब कूद पड़े जब यह खबर आई की भारत उस समूह से जुड़ने नहीं जा रहा है।’

उन्होंने तर्क दिया कि पिछली कांग्रेस सरकार को ही काफी पहले आरसेप पर बातचीत बंद कर देनी चाहिए थी क्योंकि अन्य देशों के साथ बहस का व्यापार घाटा काफी नुकसानदेह स्तर पर पहुंच रहा था। गोयल ने कहा, ‘हमने बातचीत जारी रखी क्योंकि भारत इस पर लंबे समय से चर्चा कर रहा था।’ लेकिन

उन्होंने इस पर जोर दिया कि आगे चलकर भारत व्यापार के मोर्चे पर अन्य देशों से बातचीत जारी रखेगा बशर्ते बदले में भारत को फायदा मिले।

हालांकि, विपक्ष के सदस्यों ने सौदे पर सरकार के रुख में अचानक आए बदलाव पर सवाल उठाए। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य जयराम रमेश ने याद दिलाया कि गोयल बैंकॉक शिखर बैठक तक इस सौदे के पक्ष में खड़े थे और कई बार यह तर्क दिया था कि भारत इस कारोबारी समूह से बाहर रहने का नुकसान नहीं झेल सकता।

हालांकि गोयल ने कहा कि अंतिम निर्णय साझेदारों के साथ व्यापक चर्चा के बाद लिया गया था। उन्होंने कहा कि आरसेप में शामिल अन्य देश धीरे धीरे इस बात को समझ सकते हैं कि कैसे पड़े जब यह खबर आई की भारत उस समूह से जुड़ने नहीं जा रहा है।’ उन्होंने तर्क दिया कि पिछली कांग्रेस सरकार को ही काफी पहले आरसेप पर बातचीत बंद कर देनी चाहिए थी क्योंकि अन्य देशों के साथ बहस का व्यापार घाटा काफी नुकसानदेह स्तर पर पहुंच रहा था। गोयल ने कहा, ‘हमने बातचीत जारी रखी क्योंकि भारत इस पर लंबे समय से चर्चा कर रहा था।’ लेकिन



ऐसी सौर बिजली परियोजना जो राज्य के भीतर ही बिजली बेचेगी उन पर साल भर में तैयार किए गए प्रति मेगावॉट सालाना 2.5 लाख रुपये उपकर लगाया जाएगा। इतना ही उपकर उन सौर बिजली इकाइयों पर भी लगेगा जो अपने इस्तेमाल के लिए ही बिजली तैयार करते हैं। ऐसे संयंत्र जो राज्य के बाहर बिजली बेचेंगे उनके लिए उपकर की राशि सालाना 5 लाख रुपये प्रति मेगावॉट होगी।

मसौदे में कहा गया है, ‘सौर बिजली उत्पादक प्रत्येक वित्त वर्ष में 30 अप्रैल तक राजस्थान अक्षय ऊर्जा विकास कोष में पैसा जमा कराएंगे। उसके बाद सालाना 9 फीसदी की दर से ब्याज के साथ 30 जून तक पैसा जमा कराना होगा।’

राजस्थान में भाजपा के शासनकाल में 2014

में जो नीति तैयार की गई थी उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। उसमें केवल एकबारगी 1 लाख रुपये का पंजीकरण शुल्क का प्रावधान था जो सभी सौर बिजली उत्पादकों पर लागू था। नवीनतम नीति में इस शुल्क में भी वृद्धि की गई है। 10-50 मेगावॉट क्षमता वाले बिजली संयंत्र के लिए पंजीकरण शुल्क 5 लाख रुपये है और 50-100 मेगावॉट क्षमता वाले संयंत्र के लिए यह 10 लाख रुपये कर दिया गया है। 100 मेगावॉट से अधिक की परियोजना आकार वाले संयंत्रों को 30 लाख रुपये शुल्क के तौर पर चुकाना होगा।

इस क्षेत्र के विशेषज्ञ कहते हैं कि सरकार के इस कदम से राज्य में परियोजना की लागत में भारी इजाफा होगा। राज्य में इस क्षेत्र में अपनी एक परियोजना चला रही कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘यदि हर साल इतने उच्च उपकर का भुगतान करना होगा तो इसके साथ ही शुल्क में भी हर वर्ष इजाफा होना चाहिए। लेकिन हमारे पीछे रहते ही हस्ताक्षरित किए जा चुके हैं और उसमें शुल्क वृद्धि का कोई प्रावधान नहीं है। राज्य सरकार का यह फैसला आंध्र प्रदेश की तरह है जिससे राज्य में निवेश समाप्त हो जाएगा।’ राजस्थान में 2019 की दूसरी तिमाही तक 3,500 मेगावॉट की स्थापित सौर क्षमता है और 442 मेगावॉट की सौर परियोजनाओं पर काम चल रहा है।

बीएस सूडोकू 3609	परिणाम संख्या 3608																																																																																																																														
<table> <tbody><tr><td>8</td><td></td><td>3</td><td></td><td>1</td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td>7</td><td>6</td><td>8</td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td>8</td><td></td><td>2</td></tr> <tr><td>7</td><td>2</td><td>8</td><td></td><td>1</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>3</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1</td><td></td><td>5</td><td></td><td>7</td></tr> <tr><td></td><td>4</td><td>1</td><td></td><td>9</td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td>9</td><td>4</td><td>8</td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td>3</td><td></td><td>4</td></tr> </tbody></table>	8		3		1	5		7	6	8	4		8		2	7	2	8		1			3			1		5		7		4	1		9	5		9	4	8	2		3		4	<table> <tbody><tr><td>5</td><td>3</td><td>9</td><td>7</td><td>2</td><td>6</td><td>4</td><td>8</td><td>1</td></tr> <tr><td>6</td><td>4</td><td>8</td><td>1</td><td>9</td><td>3</td><td>2</td><td>5</td><td>7</td></tr> <tr><td>7</td><td>2</td><td>1</td><td>8</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>9</td><td>6</td></tr> <tr><td>4</td><td>8</td><td>7</td><td>2</td><td>1</td><td>9</td><td>5</td><td>6</td><td>3</td></tr> <tr><td>1</td><td>6</td><td>3</td><td>4</td><td>7</td><td>5</td><td>8</td><td>2</td><td>9</td></tr> <tr><td>2</td><td>9</td><td>5</td><td>3</td><td>6</td><td>8</td><td>7</td><td>1</td><td>4</td></tr> <tr><td>9</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>4</td><td>8</td></tr> <tr><td>8</td><td>1</td><td>2</td><td>6</td><td>4</td><td>7</td><td>9</td><td>3</td><td>5</td></tr> <tr><td>3</td><td>5</td><td>4</td><td>9</td><td>8</td><td>1</td><td>6</td><td>7</td><td>2</td></tr> </tbody></table> <p>कैसे खेलें?</p> <p>हर रो, कॉलम और 3 बाईं 3 के बॉक्स में एक से लेकर नौ तक की संख्या भरें।</p> <p>बहुत मुश्किल</p> <p>★ ★ ★ ★ ★</p>	5	3	9	7	2	6	4	8	1	6	4	8	1	9	3	2	5	7	7	2	1	8	5	4	3	9	6	4	8	7	2	1	9	5	6	3	1	6	3	4	7	5	8	2	9	2	9	5	3	6	8	7	1	4	9	7	6	5	3	2	1	4	8	8	1	2	6	4	7	9	3	5	3	5	4	9	8	1	6	7	2
8		3		1																																																																																																																											
5		7	6	8																																																																																																																											
4		8		2																																																																																																																											
7	2	8		1																																																																																																																											
		3																																																																																																																													
1		5		7																																																																																																																											
	4	1		9																																																																																																																											
5		9	4	8																																																																																																																											
2		3		4																																																																																																																											
5	3	9	7	2	6	4	8	1																																																																																																																							
6	4	8	1	9	3	2	5	7																																																																																																																							
7	2	1	8	5	4	3	9	6																																																																																																																							
4	8	7	2	1	9	5	6	3																																																																																																																							
1	6	3	4	7	5	8	2	9																																																																																																																							
2	9	5	3	6	8	7	1	4																																																																																																																							
9	7	6	5	3	2	1	4	8																																																																																																																							
8	1	2	6	4	7	9	3	5																																																																																																																							
3	5	4	9	8	1	6	7	2																																																																																																																							

क्षेत्रीय मंडियों के भाव

कानपुर
गेहूँ लूज 2100/2110, जौ 1770/1780, चावल मसूरी 2250/2300, चावल मोटा 2150/2225, सरसों 4300/4325, तिल सफेद 9400/9600, सोया (टीन) 1450/1500, तेल सरसों कच्ची घानी वैंट पेड (टीन)1560/1630,

लखनऊ
गेहूँ दड़ा 2100/2125, गेहूँ शरबती 2700/2800, चावल शरबती सेला 3700/3750, स्टीम 4200/4300, लालमती 3300/3400, चावल (सोना) 2900/2975, चंदौरी

(प्रति किलो): मैन्धा आंयल 1430, बोल्ड क्रिस्टल (12 नं.)1515, फ्लैक 1450, डीएमओ 1030, टटपीन लैस बोल्ड 1528
मुजफ्फरनगर
गुड़ (40 किलो): लड्डू 1050/1080, खुरपा 950/970,चाक्कू 980/1080, रसकट 850/870, शक्कर 1150/1180, चीनी मिल डिली. (विं.) (जीएसटी अतिरिक्त):

खतोली3350, सिहोरा 3180, बुंदकी 3215, बुढ़ाना 3290,
हापड़
गुड़-चीनी: चीनी हजिर 3500/3600, गुड़ (प्रति 40 किलो) बाल्टी 880/900, तिलहन: सरसों (42 प्रतिशत कंड़ी.) 4350, खल: सरसों 2250/2350, बिजौला 2450/2550, चना छिलका 1950/2000,
जयपुर
अनाज: चावल डीबी 5500/5600, गेहूँ (मिल) 2140/2150, मक्की 2050/2100, बाजरा 1840/1850, जौ 1800/1850, ग्वार लूज 3800/3825, ज्वार केंटलफीड 2000/2100, तेल-तिलहन: सरसों(मिल पहुंच) 4640/4650,
श्रीगंगानगर
गेहूँ (डेरी) 2000/2050, ग्वार 3750/3800, जौ 2040/2050,
जोधपुर
गेहूँ 2000/2100, जौ 1750/1800, पोपकोन मक्की 4400/4500, ग्वार

डिलीवरी (ऑलपेड) 3950/4000, ग्वाराम 7250/7300, बाजरा (गुजरात) 1900/1910, बाजरा (जयपुर) 1890/1900, चना 4100/4200, काबली चना 4700/5900, मूँग 5900/6000,
रवणा
जीएसटी अतिरिक्त (प्रति विं.): राइसब्रान (खाद्य)(प्रति प्वाइंट)125, राइसब्रान (अखाद्य) 122, खल सरसों 2000, डीओसी: राइसब्रान वैंच सफेद 1200, लाल 1200, कंटीन्सुअस 1250,
लुधियाना
दाल-दलहन: राजमं चित्रा 7500/8000, अरहर दाल 7900/8400, उड़द साबुत 7500/8300, उड़द घोया 9500/10500, छिलका 9000/10000, दाल मसूर 5500/5800, चनादाल 5400/5600,
अमृतसर
चना: बासमती (1121 नं.) स्टीम 6200/6400, सेला 5600/5700, शरबती साधारण सेला 3700/3800, शरबती

उत्तर प्रदेश

राजस्थान

पंजाब

करनाल
गेहूँ दड़ा 2140/2150, वासमती चावल 6400/6500, धान 1121 नं.: 2875/3000, पईसा 1509 धान 2600/2650, शरबती धान 2150/2200, सेला (1509 नं.) चावल 5350/5400, स्टीम 6000/6100,
हिसार
ग्वार 3800/3825, सरसों 4150/4200, गेहूँ 2140/2150, नरमा कपास 5100/5200
जौड़
जीएसटी अतिरिक्त: गेहूँ 2100/2150, आटा (प्रति 44 किलो) 1070/1090, मैदा 1175/1190, देशी ची (एक ली/जार) 370/470, रिफाइंड (टीन) 1385/1400,
भिवानी
जीएसटी अतिरिक्त: सरसों 4100/4150, खल बिनौला मोटी 2400/2500, बिजौला 2700/3200, सरसों तेल 8850/8900, गेहूँ 2100/2200, ग्वार 3800/3850, बाजरा 1800/1900

एचएएस

बिज़नेस स्टैंडर्ड

वर्ष 12 अंक 253

सहज हो आय कर ढांचा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गत सप्ताह संकेत दिया कि सरकार व्यक्तिगत आय कर दरों को कम करने और कहीं अधिक तार्किक बनाने पर विचार कर रही है। सरकार ऐसा आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के तहत कर सकती है। स्मरण रहे कि वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर घटकर 4.5 फीसदी रह गई

है। सरकार को आगामी बजट में आय कर को संशोधित कर और तार्किक बनाना चाहिए। इसकी तमाम वजह हैं। उदाहरण के लिए इससे पहले सरकार ने कॉर्पोरेशन कर दर में कमी की है जिसके बाद यह तार्किक कदम होगा। इससे प्रत्यक्ष कर सुधार की प्रक्रिया और आगे ले जाई जा सकेगी। कर ढांचे को सहज बनाने से मध्यम से दीर्घ अवधि में कर

संग्रह में सुधार की संभावना बढ़ती है। दूसरा, इससे करदाताओं की अन्य श्रेणी के लिए कर को तार्किक बनाने और विस्मयित दूर करने में मदद मिलेगी।

उदाहरण के लिए दिवंगत अरुण जेटली ने 2018 के अपने बजट भाषण में कहा था कि आकलन वर्ष 2016-17 में वेतनभोगी लोगों ने औसतन 76,306 हजार रुपये का कर चुकाया जबकि पेशवरों तथा व्यक्तिगत कारोबारी करदाताओं के मामले में यह औसतन 25,753 रुपये था। यहां तक कि समेकित स्तर पर भी वेतनभोगी लोगों का कर संग्रह व्यक्तिगत कारोबारी करदाताओं और पेशेवरों द्वारा चुकाये गए कर का तीन गुना तक था। तीसरा, व्यक्तिगत करदाताओं के लिए कर दर कम करने से उनकी खर्च करने

लायक आय में इजाफा होगा और खपत में सुधार होगा। हालांकि संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव सीमित हो सकता है क्योंकि व्यक्तिगत करदाताओं की तादाद बहुत ज्यादा नहीं है।

यकीनन सरकार प्रत्यक्ष कर कानूनों की समीक्षा करने वाले कार्य बल की रिपोर्ट जारी करती तो अच्छा रहता। इससे इस विषय पर और अधिक जानकारीपरक बहस हो पाती। इससे सरकार भी सुधार प्रक्रिया को आगे ले जाने के मामले में कहीं अधिक बेहतर स्थिति में रहती। व्यापक स्तर पर देखें तो एक ओर जहां व्यक्तिगत आय कर दर को तार्किक बनाने की बात उचित है, वहीं यह भी ध्यान रखना होगा कि सरकार राजस्व संग्रह के मोर्चे पर कठिन स्थिति में है और उसे बेहद बारीक

संतुलन साधना होगा। दरों में उल्लेखनीय कटौती राजस्व पर बुरा असर डाल सकती है और सरकार की राजकोषीय स्थिति और बिगड़ सकती है। ज्यादातर विश्लेषक मानते हैं कि सरकार के लिए इस राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3.3 फीसदी के तय लक्ष्य के भीतर रखना लगभग असंभव है। चूंकि अर्थव्यवस्था में निकट भविष्य में कोई बड़ा सुधार होता नहीं दिखता इसलिए राजस्व संग्रह आगले वर्ष भी दबाव में रह सकता है।

ऐसे में विसंगतियों को समाप्त करने और रियायतों को तार्किक बनाने पर ध्यान देना चाहिए। इसमें कर दरें भी शामिल हैं। ऐसा करने से राजस्व संग्रहण पर पड़ने वाले असर को न्यूनतम किया जा सकेगा। जुलाई के बजट में सरकार ने अत्यधिक अमीर करदाताओं पर

अधिभार बढ़ा दिया था। इससे आय कर ढांचा और जटिल हो गया। ऐसे उपायों से बचा जाना चाहिए। एक छोटे समूह के लिए कर दरों में अहम वृद्धि कर वंचना की संभावना बढ़ाती है। यह भी निश्चित नहीं है कि आय कर दर में कटौती से व्यय बढ़ेगा ही क्योंकि कठिन वक्त में लोग बचत करना चाहते हैं। तार्किक कर दर वाली सहज व्यवस्था में अनुपालन में सुधार और संग्रह के आधार में इजाफा अवश्य हो सकता है। इस बीच सरकार को कर विभाग में संस्थागत क्षमता बढ़ाने पर भी विचार करना चाहिए। इस दौरान तकनीक का बेहतर इस्तेमाल कर कर वंचना पर निगरानी रखनी चाहिए। इससे राजस्व संग्रहण में बेहतरि आएगी और ईमानदार करदाताओं पर से दबाव कम होगा।



अजय मोहंती

मांग, आपूर्ति और वृद्धि में धीमापन

यदि देश को विकास के क्षेत्र में बदलाव लाना है तो घरेलू मांग को व्यापक और समावेशी बनाने को पहली प्राथमिकता देनी होगी। इस विषय पर विस्तार से अपनी राय दे रहे हैं रथिन राॅय

देश में इस बात पर बहस चल रही है कि क्या मौजूदा मंदी मांग अथवा आपूर्ति बाधित अर्थव्यवस्था को परिलक्षित कर रही है। विश्लेषण किया जाए तो यह सवाल तब उठता है जब मंदी की प्रकृति चक्र्रीय हो। यदि समेकित मांग कुल उत्पादन क्षमता से कम हो तो अर्थव्यवस्था मांग बाधित होती है। परंतु यदि समेकित मांग के बावजूद वास्तविक उत्पादन, उत्पादन क्षमता से कम हो तो इसे आपूर्ति क्षेत्र की बाधा वाली मंदी कहा जा सकता है।

ढांचागत मंदी अधिक जटिल होती है। विकासशील देशों में ऐसी मंदी के लिए विशिष्ट कारकों को उत्तरदायी ठहराया जाता है। इनमें बुनियादी ढांचे की कमी, अत्यधिक नियमन आदि प्रमुख हैं। लेकिन मांग और आपूर्ति के क्रायक भी उतने ही उत्तरदायी होते हैं।

मांग उस मूल्य से संबंधित होती जिस पर वस्तुओं और सेवाओं की पेशकश की जाती है। आपूर्ति क्षेत्र की बाधाओं के कारण कीमतें इतनी अधिक हो सकती हैं कि समेकित मांग कम हो जाए। यह तब होता है जब ये बाधाएं उत्पादकता कम

करती हैं और इसलिए कीमत इतनी ज्यादा हो जाए कि वृद्धि को समर्थन देने के लिए जरूरी मांग ही तैयार न हो पाए। व्यापार में कोई बाधा न होने से ऐसी मांग की पूर्ति बढ़े हुए आयत के माध्यम से भी की जा सकती है। इससे घरेलू उत्पादन और वृद्धि को कोई मदद नहीं मिलेगी।

मैं भारत में इसे कुछ इस प्रकार घटित होते देखता हूँ। वर्ष 1991 के बाद से भारत की वृद्धि की गाथा कमोबेश कभी निर्यात आधारित नहीं रही है। इसे गति प्रदान करने में घरेलू खपत और निवेश मांग की अहम भूमिका रही। संक्षेप में कहा जाए तो देश के शीर्ष 15 करोड़ लोग जिन जिनस का उपयोग करते हैं उनकी कीमतों में 1991 के बाद से गिरावट आई है। इस क्षेत्र की आबादी की आय से तुलना करके देखें तो उन वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में निरंतर गिरावट आई है जिन्हें आर्थिक वृद्धि का प्रमुख संकेतक माना जाता है। इनमें किराए, दैनिक उपयोग की उपभोक्ता वस्तुएं, हवाई यात्राएं आदि शामिल हैं।

इस गिरावट की प्रमुख वजह हैं उदारीकरण, बढ़ती आय और पूंजीगत

लाभ। इन क्षेत्रों को उपलब्ध उपभोक्ता और उत्पादक ऋण भी इसकी वजह है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था। इस बात के प्रमाण हैं कि इस क्षेत्र से मांग वृद्धि छीज रही है।

बहरहाल ढांचागत अवरोध अभी उन वस्तुओं की समेकित मांग को सीमित किए हुए है जिनका उपभोग देश की अगली 30 करोड़ की आबादी करती है। वस्तु आयात की बात करें तो बांग्लादेश और वियतनाम से होने वाला कपड़े का आयात देश की समेकित मांग की पूर्ति कर देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि घरेलू उद्योग उच्च मेहनताने क्षेत्रों से कम वेतन वाले उत्तरी और पूर्वी भारत का रख नहीं कर पा रहा है। सरकार देश की सबसे बड़ी भूस्वामी है लेकिन इसके बावजूद खासतौर पर शहरों में नियामकीय और संस्थागत बाधाएं इतनी हैं कि वे जमीन का इस्तेमाल कर सस्ते आवास बनाने की संभावनाओं को सीमित करती हैं। न्यूनतम आय पर गुजारा कर रहे भारतीय बिना सब्सिडी के बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं पा सकते।

ऐसे में न्यूनतम आय अर्जित करने वाले लोग जिन चीजों को खरीदने की आकांक्षा

रखते हैं उनकी मांग इसलिए जोर नहीं पकड़ पाती क्योंकि आपूर्ति क्षेत्र की बाधाओं ने कीमतों को बढ़ा रखा है।

लॉजिस्टिक्स की बढ़ी हुई लागत, महंगी और अविश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति, मानव संसाधन में कम निवेश, शोध एवं विकास पर पर्याप्त ध्यान न देने और निष्प्रभावी और मनमाने नियमन और प्रशासन के साथ राजकोषीय और ऋण नीतियों के सुसंगत नहीं होने से भी उत्पादकता में कमी की समस्या को बढ़ावा मिलता है। इससे लागत बढ़ती है और इन वस्तुओं और सेवाओं का गुणवत्तापूर्ण उत्पादन प्रभावित होता है।

सार्वजनिक नीति के जरिये दी जाने वाली प्रतिक्रिया भी संतोषजनक नहीं रही है। गरीब और न्यूनतम मेहनताना अर्जित करने वालों को खराब गुणवत्ता की सब्सिडी वाली वस्तुओं से ही संतोष करना पड़ता है। इससे वृद्धि को भी कोई सहायता नहीं मिलती। बल्कि इससे लेनदेन की लागत बढ़ती है और दुर्लभ संसाधनों तक पहुंच च में प्राथमिकता की चाह भी। यही कारण है कि अफसरशाह और नेताओं को एम्स में चिकित्सा सुविधा, सस्ती दरों पर बेहतर निजी स्वास्थ्य सेवा और गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक आवास जैसे सुविधाओं में प्राथमिकता प्रदान की जाती है।

मौजूदा मंदी को कई टीकाकारों ने वित्तीय और ऋण बाजार के तमाम ढांचागत झटकों से जोड़ा है। इसे मध्यम अवधि के निवेश-ऋण रिश्तों की कमी भी माना गया जिसने मध्यम अवधि में देश की वृद्धि दर का निर्धारण किया है। कई आकलन बताते हैं कि बेहतर ऋण सुविधा, नकदी और निवेश को आकर्षक बनाने से हालात सुधर सकते हैं। इन दलीलों में दम है लेकिन मेरी नजर में मौजूदा मंदी में इस बात के संकेत निहित हैं कि देश की वृद्धि गथा की ढांचागत कमजोरी को दूर करना आवश्यक है भले ही यह प्राथमिक कारण नहीं दिख रहा हो।

मैंने कहीं और यह दलील भी दी थी कि मंदी से निपटने के लिए अल्पावधि के उपाय अधिक आवश्यक हैं। सरकार ने इस दिशा में प्रयास भी किए हैं। मैंने यह सुझाव भी दिया था कि ढांचागत मौद्रिक और ऋण नीति के उपायों को अपनाकर भी इस दिशा में प्रयास किया जा सकता है।

परंतु अगर भारत को अपनी विकास अवस्था में बदलाव लाना है तो उसे कहीं अधिक व्यापक और समावेशी घरेलू मांग को महत्ता प्रदान करनी होगी। यह मध्यम अवधि का काम है लेकिन इसके क्रियान्वयन की शुरुआत अल्पावधि के उपायों से होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो अल्पावधि के उपाय मुद्रास्फूर्तिजनित मंदी की वजह बनेंगे। भारत को ऐसी आय और औद्योगिक नीतियां तैयार करने की आवश्यकता है जो कहीं अधिक व्यापक और समावेशी वृद्धि प्रक्रिया तय करें। ऐसा करके ही हम सफल बदलाव हासिल कर पाएंगे और मध्यम आय के जाल में फंसने से भी बच सकेंगे। इस समस्या पर ध्यान न देने वाले कई देश ऐसे जाल में फंस चुके हैं।

श्रम नीति में किए गए सुधार से अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर

भारत को श्रम नीति ने एक नया कलेवर धारण कर लिया है। अब चार श्रम संहिताएं सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं। ये पारिश्रमिक संहिता, पेशागत सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कामकाजी हालात संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता और सामाजिक सुरक्षा संहिता हैं। पारिश्रमिक संहिता को गत अगस्त की शुरुआत में संसद ने पारित कर दिया था और औद्योगिक संबंध संहिता को गत 28 नवंबर को लोकसभा में पेश किया गया है। पेशागत सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कामकाजी हालात संहिता को गत जुलाई में लोकसभा में पेश किया गया था लेकिन उसे अक्टूबर में संसद की स्थायी समिति को भेज दिया गया। संसदीय समिति की रिपोर्ट अगले महीने आने की संभावना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सामाजिक सुरक्षा संहिता के प्रारूप को गत 4 दिसंबर को मंजूरी दी है और इसे जल्द ही संसद में पेश किया जा सकता है।

इन चारों संहिताओं में कुल 28 श्रम कानूनों को समाहित किया गया है। इनमें से 13 कानून पेशागत सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कामकाजी हालात संहिता, आठ कानून सामाजिक सुरक्षा संहिता, चार कानून पारिश्रमिक संहिता और तीन कानून औद्योगिक संबंध संहिता में समाहित किए गए हैं।

यह एक लंबा सफर था जो भारत में आर्थिक सुधारों की धीमी रफ्तार को बचा करता है। दूसरे श्रम आयोग ने वाजपेयी सरकार के समय जून 2002 में रिपोर्ट सौंपी थी। उसने सुझाव दिया था कि मौजूदा श्रम कानूनों को मिलाकर पांच बड़े समूह बनाए जाने चाहिए। आयोग ने औद्योगिक संबंध, पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षा और कल्याण एवं कामकाजी हालात पर समूह गठित करने को कहा था। लेकिन रिपोर्ट सौंपे जाने के 17 साल तक विशेषज्ञ एवं अफसरशाह इन सुझावों के असर को लेकर चर्चा करते रहे। यह सिलसिला तीन सरकारों तक चलाता रहा। इन लंबी चर्चाओं से यह भी पता चला कि सरकारें भी राजनीतिक रूप से विवादास्पद कानून बनाने को लेकर संशर्कित हैं। खुद मोदी सरकार भी अपने दूसरे कार्यकाल में जाकर श्रम कानूनों को चार समूहों में वर्गीकृत करने का फैसला ले पाई। हालांकि आयोग



दिल्ली डायरी

ए के भट्टाचार्य

के सुझाव को पूरी तरह मानने के बजाय सरकार ने सुरक्षा, कल्याण एवं कामकाजी हालात पर बने कानूनों को एक ही संहिता में रख दिया है।

श्रम नीति की चारों संहिताएं अर्थव्यवस्था के एक अहम क्षेत्र में सुधारों की स्थिति के बारे में क्या बताती हैं? इस पूरी कवायद के चार अहम निहितार्थ हैं। पहला, केंद्र सरकार ने श्रम नीति एक महत्वपूर्ण क्षेत्र में खुद की भूमिका कम कर दी है। पारिश्रमिक संहिता वेतन संबंधी नीतियां तय करने में केंद्र की भूमिका को केवल रेलवे, खनन एवं तेल तक ही सीमित करता है। बाकी सभी क्षेत्रों में राज्यों को पारिश्रमिक से जुड़ी नीतियां तय करने के भीतर लेकन इसके लिए निर्धारित वेतन से कम नहीं हो सकता है।

दूसरा, नए कानूनों ने श्रम विभाग के निरीक्षकों की शक्तियों को काफी कम कर दिया है। मसलन, पारिश्रमिक संहिता सुनिश्चित करता है कि उल्लंघन के मामलों में अभियोजन की प्रक्रिया शुरू होने के पहले निरीक्षक-सह-समन्वयक नियोक्ता को एक अवसर देगा। निरीक्षक अभियोजन कार्यवाही तभी शुरू कर सकता है जब पांच वर्षों के भीतर वही उल्लंघन दोहराया जाए। सामाजिक सुरक्षा संहिता के प्रारूप में भविष्य निधि कर्मचारियों को भी इस प्रावधान का लाभ मिलेगा।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर श्रम नीति में रहे होंगे तथा हवाई यात्रा में भी छूट मिलती है। उन्हें इन सभी पर मिलने वाली छूट को स्वेच्छा से छोड़ देना चाहिए। आरंभ में सांसदों के वेतन भत्ते काफी कम थे इसलिए उन्हें कुछ चीजों पर रियायत मिलती थी। आज उनके वेतन भत्ते सम्मानजनक स्तर पर पहुंच चुके हैं। ऐसे में उन्हें ऐसी मिलने वाली छूट या रियायतों से परहेज करना चाहिए। सांसद आवास के रखरखाव में भी काफी खर्च होता है। अगर देश के सांसद बचत की पहल करेंगे तो उस राशि का देश के विकास कार्यों में अहम योगदान होगा।

रिकॉर्ड तलब नहीं कर सकते हैं। तीसरा, नई श्रम नीति में अधिसूचनाओं पर निर्भरता की प्रवृत्ति देखी गई है जिससे संसद के विधि-निर्माता शायद खुश नहीं होंगे। असल में, औद्योगिक संबंध संहिता में उन पुराने प्रावधानों को कायम रखा गया है जिसमें 100 से अधिक कर्मचारियों वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों के नियोक्ता के लिए छंटनी या बंदी भत्ते समय केंद्र या राज्य सरकार की पूर्व-अनुमति लेना जरूरी किया गया है। लेकिन अब इसके साथ केंद्र एवं राज्य सरकारों को यह छूट भी दी गई है कि वे अधिसूचना जारी कर प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों की न्यूनतम संख्या तय कर सकते हैं। इसी तरह सामाजिक सुरक्षा संहिता का मसौदा सरकार को यह छूट देता है कि वह अधिसूचना जारी कर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के दायरे में आने वाले संगठन की सीमा बदल सकती है।

चौथा, नई श्रम नीति ने कर्मचारियों की नई श्रेणियों को समाहित करने के लिए कानून का दायरा बढ़ाने के गुंजाइश काफी अधिक कर दी है। औद्योगिक संबंध संहिता तय अवधि वाले कर्मचारियों की भी बात करती है और यह सुनिश्चित करती है कि उन्हें भी समान कर्ता करने वाले नियमित कर्मचारियों की तरह सामाजिक सुरक्षा एवं पारिश्रमिक के सभी लाभ मिलें। पेशागत सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कामकाजी हालात संहिता रंगमंच, फिल्म, मनोरंजन एवं मीडिया जैसे नए क्षेत्रों पर भी लागू होगी। सामाजिक सुरक्षा संहिता के मसौदे में ग्रैजुएट एवं बीमा लाभ तय अवधि वाले कर्मचारियों को भी देने का प्रावधान है। मोबाइल ऐप से संचालित होने वाले उद्योगों में भी सक्रिय कर्मचारी इस कानून के दायरे में होंगे। नई अर्थव्यवस्था वाली उबर, ओला या स्विगी जैसे नए कर्मचारियों को भी इस प्रावधान का लाभ मिलेगा।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर श्रम नीति में रहे होंगे तथा हवाई यात्रा में भी छूट मिलती है। उन्हें इन सभी पर मिलने वाली छूट को स्वेच्छा से छोड़ देना चाहिए। आरंभ में सांसदों के वेतन भत्ते काफी कम थे इसलिए उन्हें कुछ चीजों पर रियायत मिलती थी। आज उनके वेतन भत्ते सम्मानजनक स्तर पर पहुंच चुके हैं। ऐसे में उन्हें ऐसी मिलने वाली छूट या रियायतों से परहेज करना चाहिए। सांसद आवास के रखरखाव में भी काफी खर्च होता है। अगर देश के सांसद बचत की पहल करेंगे तो उस राशि का देश के विकास कार्यों में अहम योगदान होगा।

प्रियंका कुमारी, नोएडा

कानाफूसी

ब्रिटेन : बोरिस को जिताना है

ब्रिटेन में चल रहे चुनाव प्रचार अभियान ने सोमवार को उस वक्त देसी मोड़ ले लिया जब एक वीडियो सामने आया जिसमें प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को सारी समस्याओं का एक मात्र हल बताया गया था। वीडियो के बोल थे, 'बोरिस को हमें जिताना है, इस देश को बचाना है।' माना जा रहा है कि हिंदी का यह गीत वहां रहने वाले 15 लाख प्रवासी भारतीयों में से ही किसी समूह ने तैयार किया है। इस वीडियो में ज्यादातर तस्वीरें जॉनसन की और कुछेक तस्वीरें विपक्षी नेता जेरेमी कॉर्बिन की शामिल हैं। कॉर्बिन को वीडियो में झूठा बताया गया है। अब यह वीडियो भारतीय समुदाय के लोगों को आकर्षित कर पाएगा अथवा नहीं यह तो देखना होगा लेकिन फिलहाल तो यह लोगों के बीच मनोरंजन का एक साधन बना हुआ है।

अनूठा विरोध

प्याज की लगातार बढ़ती कीमतें समाचारों की सुर्खियां बनी हुई हैं। देश के कुछ जगहों में प्याज के दाम 100 रुपये से 200 रुपये तक पहुंच गए हैं। राजधानी दिल्ली में भी प्याज के दाम 100 रुपये तक पहुंच चुके हैं। सोमवार को जब अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता मिल सकेगी। विधेयक में कहा गया है कि अनेक प्रवासी जो 31 दिसंबर, 2014 तक भारत में प्रवेश कर चुके हैं उनके लिए नागरिकता देने की व्यवस्था की जाएगी। संसद में इस विधेयक के पेश होने पर काफी हंगामा हुआ। विपक्षी दलों का कहना है कि धर्म के आधार पर नागरिकता देना उचित नहीं है। जिसके जवाब में गृह मंत्री ने कहा कि इस्लामिक देशों में मुस्लिम समुदाय के लोग कैसे पीड़ित हो सकते हैं। असम में इस विधेयक को लेकर बंद का आह्वान किया गया है। इस विधेयक के खिलाफ वहां काफी



आपका पक्ष

सुरक्षा के लिए जरूरी नागरिकता विधेयक

संसद में सोमवार की रात को नागरिकता संशोधन विधेयक पारित हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश इस विधेयक में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता मिल सकेगी। विधेयक में कहा गया है कि अनेक प्रवासी जो 31 दिसंबर, 2014 तक भारत में प्रवेश कर चुके हैं उनके लिए नागरिकता देने की व्यवस्था की जाएगी। संसद में इस विधेयक के पेश होने पर काफी हंगामा हुआ। विपक्षी दलों का कहना है कि धर्म के आधार पर नागरिकता देना उचित नहीं है। जिसके जवाब में गृह मंत्री ने कहा कि इस्लामिक देशों में मुस्लिम समुदाय के लोग कैसे पीड़ित हो सकते हैं। असम में इस विधेयक को लेकर बंद का आह्वान किया गया है। इस विधेयक के खिलाफ वहां काफी



विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि इस विधेयक को जल्द कब पड़े। आजादी के समय भारत के तीन टुकड़े हुए जिसमें पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) का गठन हुआ। भारत धर्म निरपेक्ष देश बना जिसमें सभी धर्मों को समान अधिकार दिए गए। लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश इस्लाम

सोमवार की रात को लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पारित हुआ

धर्म का देश बना जहां अन्य समुदाय एवं धर्मों के लोगों को प्रताड़ित किया जाने लगा। धार्मिक प्रताड़ना से बचने के लिए ऐसे लोगों में से कुछ ने भारत में शरण

ली लेकिन उन्हें यहां की नागरिकता नहीं मिल सकी। इसके अलावा भारत में पाकिस्तान और बांग्लादेश से काफी घुसपैठ होने लगी है। इससे देश की सुरक्षा को खतरा होने लगा था। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से आतंकी घुसपैठ कर कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। अब देश में हर व्यक्ति की सही पहचान होगी तथा आतंकीयों की पहचान भी हो सकेगी। नागरिकता संशोधन विधेयक देश की सुरक्षा के लिहाज से भी सही है।

राजेश कुमार, नई दिल्ली

सांसदों का सब्सिडी छोड़ना सराहनीय

संसद के कैंटीन में खाद्य वस्तुओं पर मिलने वाली सब्सिडी को सांसदों द्वारा छोड़ा जाना सराहनीय पहल है। सभी सांसदों द्वारा सर्व

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

दो सप्ताह में आधे हो सकते हैं प्याज के दाम

लासलगांव मंडी में कीमतें 71 रुपये से घटकर 41 रुपये प्रति किलोग्राम रह गईं

दिलीप कुमार झा
लासलगांव, 10 दिसंबर

महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक में प्रमुख उत्पादक राज्यों से लाल प्याज की मौसमी और मौसम-पूर्व किस्मों की आवक बढ़ने से अगले दो सप्ताह में कीमतों में 50 प्रतिशत तक की कमी आने की संभावना है।

समय से पहले काटे जाने वाले प्याज की आपूर्ति में भारी तेजी आने से पिछले दो दिन में इसकी कीमतों में 42 प्रतिशत तक की कमी आई है। एशिया की सबसे बड़ी थोक प्याज बिक्री मंडी लासलगांव में प्याज की कीमतें मंगलवार को 41 रुपये प्रति किलोग्राम पर थीं जबकि शनिवार को इसका भाव 71 रुपये प्रति किलोग्राम था। हालांकि पिछले तीन दिन में प्याज की आवक बढ़कर मंगलवार को 704 टन हो गई, जबकि दो दिन पहले यह 421 टन थी।

दिलचस्प है कि जमा प्याज की आवक में पिछले दो दिनों में कमी दर्ज की गई। मॉनसून सीजन की बाढ़ के दौरान गोदावरी में प्याज सड़ने के बाद उपलब्ध स्टॉक की कम मात्रा की वजह से इसकी आवक में यह कमी देखी गई है।

कृषि उपज बाजार समिति (एपीएमसी), लासलगांव के चेयरमैन सुवर्ण जगताप ने कहा, 'प्याज का भाव घटकर जनवरी 2020 तक 20-25 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच रह जाने की संभावना है। प्याज की आपूर्ति बढ़ने से इसी कीमतों में गिरावट आएगी। हम अगले दो सप्ताह में प्याज का भाव 30-35 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर देख सकते हैं।'

लाल प्याज की आवक बढ़ी है जिसे अधिक नमी की मात्रा के कारण तीन दिन से ज्यादा समय तक जमा करके नहीं रखा जा सकता। इसके परिणामस्वरूप, कारोबारी और स्टॉकिस्ट जमा स्टॉक खरीदते हैं और प्रेडिंड तथा दो दिन तक



धूप में इसे सुखाने के बाद इसे बेचते हैं।

एपीएमसी लासलगांव के सहायक सचिव सुदिन जी तारले ने कहा, 'प्याज की आवक आने वाले दिनों में बढ़ेगी, क्योंकि किसान ऊंची कीमतों का लाभ उठाने के लिए काफी हद तक कच्ची प्याज को ही निकाल रहे हैं। मौजूदा समय में प्याज नाशिक और धूलिया जिलों से आ रहा है। लेकिन नंदुरबार, जलगांव, धुले और अन्य इलाकों से इसकी आवक शुरू होनी बाकी है। जब इन जगहों से प्याज आने लगेगा तो इसकी कीमतों में बड़ी गिरावट आएगी।'

पिछले साल इस समय तक, लासलगांव मंडी में प्याज की कुल आवक लगभग 2,500 टन प्रतिदिन थी, जो मौजूदा समय में पहुंच रहे प्याज की तुलना में काफी अधिक थी। मॉनसूनी सीजन के दौरान ज्यादा बारिश से प्याज की फसल को लगभग 30 प्रतिशत तक नुकसान पहुंचा था। एपीएमसी, लासलगांव के सचिव नरेंद्र

लासलगांव मंडी में प्याज की आवक बढ़ी है, लेकिन यह पिछले साल की तुलना में काफी कम है

फोटो- कमलेश पेडगेकर

वाधवाने ने कहा, 'इसका मतलब है कि इस साल प्याज की आवक धीमी बनी रह सकती है। इससे प्याज की कीमतों में उतनी गिरावट नहीं आ सकती है जितनी कि पिछले साल इसी समय के दौरान देखने को मिली थी।' आवक बढ़ जाने से मंडी में प्याज की कीमत पिछले साल इसी समय के आसपास 2-3 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई थी।

भारत के लगभग 2.35 करोड़ टन के सालाना प्याज उत्पादन में से करीब 30 लाख टन का निर्यात किया जाता है। 10 प्रतिशत प्याज सड़ जाने से घरेलू उपभोक्ताओं के लिए प्याज की कुल उपलब्धता लगभग 1.7-1.8 करोड़ टन पर अनुमानित है।

तमिलनाडु में दाम घटे, इजिप्ट से हुआ आयात

टी ई नरसिम्हन
चेन्नई, 10 दिसंबर

दिनोदिन चढ़ते प्याज की कीमतों के बीच तिरुचि थोक बाजार के कारोबारियों ने 30 टन प्याज का आयात किया है। तिरुचि तमिलनाडु की सबसे बड़ी मंडियों में से एक है। आयात से राज्य के पांच जिलों के बाजार में प्याज की कीमतें 100 रुपये किलो रह गई हैं। राज्य के दूसरे हिस्सों में कीमतें 140 से 160 रुपये प्रति किलो हैं। कारोबारियों के मुताबिक अब अधिक आयात की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि परेम्बलुर, तिरुचि और नामक्कल जिलों से आवक बढ़ने से मार्जिन में कमी आ रही है।

तमिलनाडु के बड़े थोक बाजार, आसपास के जिलों और बेल्लारी तथा नासिक से आने वाले प्याज पर निर्भर हैं। तमिलनाडु में प्रारंश से प्याज की 75 फीसदी फसल बरबाद हो गई। परेम्बलुर जिले में 8,000 हेक्टेयर और तिरुचि जिले में 4,000 हेक्टेयर रकबे पर फसल लगी है। कारोबारी कहते हैं कि इन जिलों से आवक 25 बोरी प्रतिदिन हो गई है जो पहले 500 थी। केंद्र सरकार भी इजिप्ट सहित विभिन्न देशों से प्याज का आयात कर रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 नवंबर को 1.2 लाख टन प्याज के आयात की मंजूरी दी थी। तिरुचि अनियन कमीशन मंडी ट्रेडर्स एसोसिएशन के महासचिव ए तंगराज ने कहा, 'थोक बाजार में सोमवार को प्याज के बेल्लारी किस्म में 20 रुपये और छोटे प्याज के भाव में 40 रुपये की कमी आई। इन दोनों किस्मों की कीमत कम होती जाएगी और 50 रुपये प्रति किलो पर स्थिर हो जाएगी।'

अक्टूबर-नवंबर में घरेलू इस्पात की मांग घटी

अदिति दिवेकर
मुंबई, 10 दिसंबर

वित्त वर्ष 20 की तीसरी तिमाही के पहले दो महीनों (अक्टूबर और नवंबर) में घरेलू इस्पात की मांग वृद्धि फिसलकर नकारात्मक क्षेत्र में आ गई है। पिछले साल के मुकाबले इसमें 1.8 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। आज इक्रा की रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है।

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की तर्ज पर चलते हुए घरेलू इस्पात की मांग वृद्धि पूरे चालू वित्त वर्ष में लगातार सुस्त रही है। वित्त वर्ष 20 की पहली तिमाही में सालाना आधार पर मांग वृद्धि दर 6.9 प्रतिशत थी जो दूसरी तिमाही में गिरकर 3.1 प्रतिशत रह गई।

इसी तरह दिसंबर 2019 के पहले सप्ताह में मिलों की मांग फीकी रही है और सरकारी, परियोजनाओं की पकड़ भी उतनी मजबूत नहीं रही, जितनी पहले उम्मीद की जा रही थी। कमजोर मांग वाले माहौल के बावजूद घरेलू मिलों ने नवंबर और दिसंबर 2019 में हल्की-सी मूल्य वृद्धि की घोषणा की थी जो मुख्य रूप से नवंबर 2019 की शुरुआत से इस्पात के अंतरराष्ट्रीय दामों में इजाफे की ओर इशारा करती है। एजेंसी की राय में सामान्य रूप से मजबूत रहने वाली चौथी तिमाही के दौरान घरेलू मांग में सार्थक वृद्धि के बिना घरेलू इस्पात की कीमतें इस्पात के अंतरराष्ट्रीय दामों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बने रहने की संभावना है।

रिपोर्ट में इक्रा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और समूह प्रमुख (कॉरपोरेट सेक्टर रेंटिंग्स) जयंत राय के हवाले से कहा गया है कि लगातार



नवंबर के बीच भारत इस्पात का शुद्ध निर्यात बना रहा

इस अवधि में इस्पात निर्यात 33.3 प्रतिशत तक बढ़ा और आयात में 5.3 प्रतिशत तक की कमी आई

व्यापक आर्थिक प्रतिकूल परिस्थितियों को देखते हुए हमारा मानना है कि घरेलू इस्पात खपत की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में पांच प्रतिशत से भी कम रहने की संभावना है, जबकि हमने अगस्त 2019 में पांच से छह प्रतिशत की सीमा निर्धारित की थी।

मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान इंजीनियरिंग निर्यात में कमी और वाहन क्षेत्र में मंदी देखते हुए मिश्र धातु वाले इस्पात विनिर्माताओं के लिए काम करने के हालात विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण रहे हैं। कार्बन स्टील विनिर्माताओं के लिए भी मॉनसून के बाद निर्माण संबंधी मांग में अपेक्षित इजाफा अब तक जोर नहीं पकड़ पाया है।

जहां तक निर्यात का संबंध है तो अप्रैल से नवंबर के बीच भारत कमोबेश इस्पात का शुद्ध निर्यातक बना रहा है। इस अवधि के दौरान इस्पात निर्यात सालाना आधार पर 33.3 प्रतिशत तक बढ़ा है और आयात में 5.3 प्रतिशत तक की कमी आई है।

अंतरराष्ट्रीय और घरेलू भाव				
As on Dec 10	International Price	%Chgr	Domestic Price	%Chgr
METALS (\$/tonne)				
Aluminium	1,766.0	-0.6	1,904.1	-3.2
Copper	5,985.0	4.3	6,389.3	3.2
Nickel	13,200.0	-26.9	13,963.3	-22.7
Lead	1,866.0	-11.3	2,172.1	5.9
Tin	17,120.0	-1.3	18,265.2	0.0
Zinc	2,233.0	-2.8	2,595.2	0.0
Gold (\$/ounce)	1,467.4*	-1.2	1,650.1	-0.6
Silver (\$/ounce)	16.7*	-7.2	19.0	-6.9
ENERGY				
Crude Oil (\$/bbl)	65.1*	2.7	64.8	4.3
Natural Gas (\$/mmBtu)	2.2*	-15.4	2.2	-14.2
AGRI COMMODITIES (\$/tonne)				
Wheat	183.3	9.9	300.4	7.6
Maize	182.8*	1.1	320.6	10.9
Sugar	352.0*	16.7	484.1	-0.3
Palm oil	712.5	31.9	1,116.0	29.1
Rubber	1,623.4*	4.9	1,861.8	-4.7
Coffee Robusta	1,470.0*	12.6	1,897.0	-7.5
Cotton	1,435.2	9.4	1,582.2	-1.0

*As on Dec 10, 19 1800hrs IST, # Change Over 3 Months, Conversion rate 1 USD = 70.9 ₹, 1 Ounce = 31.10322316grams.

एमसीएक्स				
Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)		
Cotton	22.9	12795		
Oil and Oilseeds	338.6	76724		
Grains	0.4	14		
Metal(Dec 09)				
Oil and Oilseeds	841.4	49870		
Metal- non ferrous	5710.3	55858		
Metal- precious	5658.3	538		
Metal and gas(Dec 09)				
Gas	2116.7	46638		
Oil	12057.9	2526		

एनसीडीईएक्स				
Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)		
Cotton	238.1	109087		
Crude Palm Oil (Dec 31)	724.2	0.6		
Copper (Dec 31)	439.5	0.3		
Spices	152.7	0.1		
Lead Mini (Dec 31)	152.7	0.1		
Gold Guinea (Dec 31)	30411.0	0.0		
Losers (% Change)	157.0	6.5		
Natural Gas (Dec 26)	3051.1	-2.9		
Cardamom (Dec 13)	979.6	-1.8		
Nickel (Dec 31)	19070.0	-0.7		
Cotton (Dec 31)	132.5	-0.6		
Aluminium (Dec 31)	132.5	-0.5		
Aluminium Mini (Dec 31)	132.5	-0.5		

एमसीएक्स बढ़ा/घटा				
Name (Maturity)	Close	Day*		
Coriander-Kota (Dec 20)	6901.0	3.0		
Barley Jaipur (Apr 20)	1706.5	1.0		
Turmeric Nizamabad (Dec 20)	5778.0	0.8		
Coriander-Rajkot (Dec 31)	16510.0	0.3		
Mustard Seed Rape Oil (Dec 20)	4388.0	0.3		
Chana-Bikaner (Dec 20)	4372.0	0.3		
Soybean Indre (Dec 20)	4150.0	0.1		
Losers (% Change)	7037.0	-1.4		
Guar Gum 5F-Jodhpur (Dec 20)	3890.0	-1.3		
Guar Seed 10 (Dec 20)	4148.0	-1.0		
CastorSeed New-Disa (Dec 20)	2022.0	-0.8		
CastorSeed Oil-Akola (Dec 20)	1083.5	-0.3		

एनसीडीईएक्स बढ़ा/घटा				
Name (Maturity)	Close	Day*		
Cardamom Vandanmedu (Dec 13)	3051.1	3.3		
Gold Petal-Mumbai (Dec 31)	3850.0	2.0		
Kapas Surendranagar (Feb 28)	10403.0	2.0		
Cotton-Rajkot (Dec 31)	19070.0	1.4		
Moong-Mlera City (Dec 20)	43525.0	0.7		
29 mm Cotton-Rajkot (Dec 20)	43502.0	0.7		
Crude Palm Oil Kandl (Dec 31)	732.8	0.1		
Discount over spot price (In %)				
Menthol Oil Chandaus (Dec 31)	1306.1	-7.7		
Aluminium Mum (Dec 20)	132.5	-4.3		
Aluminium-Mumbai (Dec 31)	132.5	-4.3		
Copper Mum (Dec 31)	439.5	-3.3		
Coriander-Kota (Dec 20)	6901.0	-1.2		
Soy Bean Indore (Dec 20)	4150.0	-0.5		
Maize-Sangli (Dec 20)	2014.0	-0.4		

कल का हाजिर भाव				
Name (Maturity)	Close	Day*		
Chana Delhi (N)	10	1		
Chana-Akola (N)	X	4425.00	4450.00	
Coriander-Gondal (N)	X	6625.00	6611.00	
Coriander-Jaipur (N)	X	6866.65	6903.35	
Coriander-Kota (N)	1	6967.15	6987.15	
Chana-Bikaner (N)	1	2105.00	2122.50	
Soybean Indre (N)	1	2062.65	2055.90	
Gold Petal-Mumbai (M)	1	18659.50	18596.75	
Cotton-Kadi (N)	1	717.20	717.20	
CPJ-Kandla (N)	1	730.35	732.35	
Crude Palm Oil Kandl (N)	1	3765.00	3759.00	
Gold Ahmedabad (M)	1	30241.00	30193.00	
Guar Gum 5F-Jodhpur (M)	1	3778.00	3773.00	
Guar Seed 10 (M)	1	7264.00	7200.00	
Guar Seed 10 MF-Jodh (N)	1	3900.00	3920.00	
GuarSeed-Jodhpur (M)	1	3950.00	3938.00	
Guar Muzaffar Jaipur (M)	4	1041.00	1070.10	
Isabgol-Dehli (M)	1	93.05	93.40	
Jeera Jodhpur-Jodhpur (N)	1	17050.00	16950.00	
Jeera Unjha (N)	1	16400.00	16407.15	
Jeera Unjha (N)	X	1030.05	1030.05	
Kapas-Rajkot (N)	X	1030.50	1026.20	

सॉफ्ट				
Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)		
Groundnut oil/10kg	1050	(1040)		
Linseed oil/10kg	845	(845)		
Karanjil/10kg	780	(780)		
Palm oil/10kg	810	(805)		
Sunflower exp ref/10kg	865	(865)		
Sunflower oil exp/10kg	815	(810)		
Soyabean ref/10kg	855	(850)		

उर्जा				
Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)		
Crude Brent-\$/Barrel	59.08	(59.02)		
NISE Crude	65.58	(65.42)		
Brent Crude (UK)	59.02	(59.02)		
Brent Crude (WTI)	2.23	(2.23)		
NISE Natural Gas-\$/mmBtu	282.88	(254.02)		
Fumacee/180 Cst \$/bbl	45170	(45170)		
Naphtha spot/RSMT	36150	(36150)		
LHS\$ spot/M.T.	33950	(33950)		
Fumacee Oil spot/K.L.				
Fumacee Oil spot/K.L.				
Sour:Petroleum Bazaar.com				

औद्योगिक				
Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)		
Aluminium utensil scrap/kg	100	(100)		
Aluminium ingots/kg	135	(135)		
Brass sheet cutting/kg	316	(316)		
Brass utensil scraps/kg	299	(299)		
Copper heavy scrap/kg	419	(419)		
Copper utensil scraps/kg	395	(395)		
Copper wire bar/kg	453	(454)		
Lead ingots/kg	154	(153)		
Nickel Cathodes/kg	990	(1000)		
Tin slabs/kg	125	(1285)		
Zinc slabs/kg	184	(185)		

सॉफ्ट				
Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)		
Groundnut oil/10kg	1050	(1040)		
Linseed oil/10kg	845	(845)		
Karanjil/10kg	780	(780)		
Palm oil/10kg	810	(805)		
Sunflower exp ref/10kg	865	(865)		
Sunflower oil exp/10kg	815	(810)		
Soyabean ref/10kg	855	(850)		

सॉफ्ट				
Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)		
Crude Brent-\$/Barrel	59.08	(59.02)		
NISE Crude	65.58	(65.42)		
Brent Crude (UK)	59.02	(59.02)		
Brent Crude (WTI)	2.23	(2.23)		
NISE Natural Gas-\$/mmBtu	282.88	(254.02)		
Fumacee/180 Cst \$/bbl	45170	(45170)		
Naphtha spot/RSMT	36150	(36150)		
LHS\$ spot/M.T.	3			

डेटा संरक्षण: किन पर होगा असर ?

मसौदा विधेयक में बायोमेट्रिक डेटा के इस्तेमाल पर प्रतिबंध का प्रावधान। एलेक्सा, गूगल होम होंगी प्रभावित

करण चौधरी, नेहा अलावधी और निधि राय

अगर डेटा संरक्षण विधेयक अपने मौजूदा स्वरूप में पारित हो जाता है तब गूगल होम या एलेक्सा से अपने पर्सदीदा गीत सुनाने की गुजारिश करना, फिंगरप्रिंट के जरिये मोबाइल फोन को अनलॉक करना या फेस स्कैन या आंखों की पुतली स्कैन कर बैंक खाता संचालित करने की सारी कवायद अब मुश्किल हो सकती है। मसौदा विधेयक के उपबंध 92 में कुछ विशेष किस्म के बायोमेट्रिक डेटा पर प्रतिबंध लगाने का जिक्र है और उस तक पहुंच बनाने के लिए कानूनी अनुमति की जरूरत पड़ सकती है।

उद्योग विशेषज्ञ कहते हैं कि इसका असर डिजिटल कॉमर्स, बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवा और वाहन उद्योग से लेकर लगभग हर क्षेत्र की कंपनियों पर पड़ सकता है। जो कंपनियां बायोमेट्रिक डेटा मसलन फिंगरप्रिंट स्कैनर, वॉयस कमांड टूल, आंखों की पुतलियों या चेहरे के स्कैनर का इस्तेमाल करती हैं उन पर इस मसौदा विधेयक का असर पड़ सकता है।

उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि गूगल और एमेज़ॉन बायोमेट्रिक डेटा का इस्तेमाल करती हैं और अगर मौजूदा मसौदा विधेयक अपने मौजूदा स्वरूप में पारित



उपबंध 92 से कौन होंगे प्रभावित

- वॉयस आधारित सहयोगी सेवाएं देने वाले मसलन गूगल, एमेज़ॉन
- मोबाइल फोन निर्माता
- बैंकिंग कंपनियों
- अस्पताल, स्वास्थ्य सेवा कंपनियों और संस्थान
- स्मार्ट टीवी निर्माता
- वॉयस आधारित घरेलू उपकरण निर्माता
- मसौदा विधेयक के मुताबिक फिंगर प्रिंट मोबाइल अनलॉक करना हो जाएगा मुश्किल
- बैंकों में आंखों की पुतलियों के द्वारा स्कैन प्रक्रिया पर भी पड़ेगा असर

होता है तो उन पर भी इसका असर होगा। इन दोनों ही कंपनियों में वॉयस असिस्टेंट है और दूसरे अन्य उत्पाद भी सीधे तौर पर मसौदा विधेयक के उपबंध 92 से प्रभावित होंगे। ऐसे हालात भी बन सकते हैं कि इन तकनीकी कंपनियों के लिए ऐसी सेवाएं चलाना असंभव होगा जिसमें उपयोगकर्ताओं के बायोमेट्रिक डेटा की जरूरत होगी।

इन कंपनियों में से एक कंपनी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने बताया, 'गूगल आजकल वॉयस का इस्तेमाल गूगल

ट्रांसलेट, गूगल होम और अन्य चीजों के लिए करता है। एमेज़ॉन के पास एलेक्सा वॉयस असिस्टेंट है। अगर यह मसौदा पारित कर दिया जाता है तब इन कंपनियों का काम बुरी तरह प्रभावित होगा। एमेज़ॉन उपयोगकर्ताओं के वॉयस कमांड पर आधारित ऑनलाइन खरीदारी सेवाएं शुरू करना चाहती है ऐसे में कंपनी भी पसोपेश में है।' विशेषज्ञों का मानना है कि मसौदा के उपबंध 92 में यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि कानूनी अनुमति के बिना कोई भी कंपनी या कोई व्यक्ति ऐसे बायोमेट्रिक

डेटा का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है। इस वक्त यह स्पष्ट नहीं है कि किस तरह के बायोमेट्रिक डेटा लेने की अनुमति होगी या नहीं होगी और कौन सी कंपनी किस तरह के डेटा का संग्रह कर सकती है। एक लॉ कंपनी टेकलेजिस एडवोकेट्स एंड सॉलिसिटर्स के मैनेजिंग पार्टनर सलमान वारिस कहते हैं, 'मौजूदा मसौदा में कई तरह की अस्पष्टता है। कुछ खास किस्म के बायोमेट्रिक डेटा की प्रोसेसिंग पर रोक की बात की गई है

हालांकि इन प्रावधानों में यह स्पष्टता नहीं है कि किस तरह के बायोमेट्रिक डेटा का इस्तेमाल किया जा सकेगा या नहीं। इससे नियामकीय भ्रम की स्थिति बनेगी और उन कंपनियों के लिए चीजें जटिल होंगी जिनका ताल्लुक बायोमेट्रिक डेटा से है या फिर जो ऐसे उपकरण तैयार करती हैं जिनकी मदद से बायोमेट्रिक डेटा लिया जाता है मसलन फोन, आवाज की पहचान करने वाले उपकरण आदि। इसके अलावा तकनीकी कंपनियां, वित्तीय तकनीक कंपनियां, बैंकिंग उद्योग के लिए भी जटिलताएं बढ़ेंगी।'

मोबाइल फोन कंपनियों इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगी क्योंकि उन्हें स्थानीय स्तर पर सभी बायोमेट्रिक डेटा स्टोर करना होगा और इससे इन्फ्रास्ट्रक्चर की लागत बढ़ेगी। लोकलसर्कल्स के संस्थापक और अध्यक्ष सचिन तपारिया कहते हैं, 'बायोमेट्रिक डेटा को स्थानीय स्तर पर स्टोर करने का मतलब यह होगा कि सभी फोन कंपनियां जो यूजरों की पहचान के लिए बायोमेट्रिक डेटा को अपने सर्वर पर स्टोर करती हैं उन्हें इस डेटा को भारत में ही स्टोर और प्रोसेस करना होगा।' उनका कहना है कि बायोमेट्रिक डेटा को एक संवेदनशील डेटा के तौर पर वर्गीकृत किया जाता है ऐसे में सूचनाओं को स्थानीय स्तर पर संरक्षित करना और उसकी प्रोसेसिंग की बात तार्किक लगती है।

डेटा में लगी सेंध, अपनाए सुरक्षात्मक उपाय

बिदिशा सारंग

पिछले शुरुवार को भारती एयरटेल के मोबाइल ऐप में सुरक्षा संबंधी खामियों के कारण 30 करोड़ ग्राहकों का डेटा सार्वजनिक हो गया। वेबसाइट सुरक्षा पर काम करने वाले शोधकर्ता एहराज अहमद ने एक ब्लॉग में इस खामियों के बारे में बताया। उन्होंने लिखा कि इस खामियों की वजह से अपना नाम, ईमेल, जन्मतिथि, पता, सबस्क्रिप्शन की जानकारी, 4जी, 3जी एवं जीपीआरएस के लिए डिव्हाइस क्षमता, नेटवर्क सक्रियता तिथि, उपयोगकर्ता के प्रकार (प्रीपेड/पोस्टपेड) और वर्तमान मोबाइल का आईएमआई नंबर का पता चल सकता है।

मुंबई स्थित साइबर विशेषज्ञ रिसेश भाटिया कहते हैं, 'भले ही एयरटेल ने इसे ठीक कर लिया हो लेकिन हम केवल उम्मीद कर सकते हैं कि यह डेटा हैकर्स या इसका दुरुपयोग करने वाले दूसरे व्यक्तियों के हाथ में न लगा हो।'

ईमेल से की गई बातचीत में एयरटेल के प्रवक्ता ने बताया, 'हमारी एक एपीआई टेस्टिंग में तकनीकी समस्या थी, जिसे हमारे ध्यान में लाते ही ठीक कर लिया गया था। चूंकि ये टेस्टिंग एपीआई थी तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ग्राहकों से संबंधित किसी तरह का डेटा प्रभावित नहीं हुआ है। एयरटेल के डिजिटल प्लेटफॉर्म अत्यधिक सुरक्षित हैं। ग्राहक संबंधी गोपनीयता हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है और हम अपने डिजिटल प्लेटफॉर्मों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम समाधानों का उपयोग करते हैं।'

निजता एवं डेटा सुरक्षा पर शोध कार्य करने वाली संस्था पोनेमोन इंस्टीट्यूट द्वारा वर्ष 2018 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार डेटा चोरी के मामले का पता लगने में औसतन 197 दिन लग जाते हैं और इसे ठीक करने में अतिरिक्त 69 दिन का समय लगता है। इतने दिन बाद जब तक समस्या ठीक की जाती है, तब तक नुकसान हो चुका होता है। फोसिप्टाईट और फ्रॉन्ट एंड सर्विलांस के सर्वे में पाया गया कि 69 प्रतिशत भारतीय संस्थाओं के डेटा चोरी का खतरा है।



विंता की बात

69 प्रतिशत: भारतीय संस्थाओं के डेटा में सेंध लगने का खतरा

44 प्रतिशत: कंपनियों के शुरुआती 12 महीनों में चोरी होता है डेटा

25 प्रतिशत: कंपनियां पिछले 12 महीनों में डेटा चोरी पर कार्रवाई करने में विफल रहीं

197 दिन: डेटा चोरी का पता चलने में लगा औसत समय

69 दिन: डेटा चोरी की खामियों को ठीक करने में लगा औसत समय

जब भी किसी जगह डेटा में सेंध लगती है, वहां किसी बड़े खतरे का अंदेशा रहता है।

विशेषज्ञों के अनुसार, आईएमआई नंबर से फोन उपयोगकर्ता के बारे में अंदेशा लगाया जा सकता है। हैकर आईएमआई नंबर के आधार पर मोबाइल के मॉडल का पता लगा सकते हैं जिससे उपयोगकर्ता की वित्तीय स्थिति का अंदाजा लग सकता है। भाटिया कहते हैं, 'हैकर के पास आपके डिव्हाइस को हैक करने से संबंधित फोन का मॉडल, उपकरण बनाने की

तिथि जैसे अनेक जरूरी जानकारी है और वह आपको निशाना बना सकता है। इस जानकारी के आधार पर आपके मोबाइल का क्लोन भी तैयार किया जा सकता है। परिणामस्वरूप, पहचान की चोरी और स्पैम संदेशों के मामलों में बढ़ोतरी हो सकती है।'

ऐसी स्थिति में सबसे पहले इस बात का पता लगाएं कि क्या आप भी इससे प्रभावित हुए हैं। इससे संबंधित कई वेबसाइट उपलब्ध हैं। जैसे, हैव आई बीन प्लॉन्ड?, ब्रीच अलार्म, डीहैशड आदि। ये वेबसाइट आपके ई-मेल पते के जरिये पता लगाती हैं कि क्या संबंधित डेटा चोरी हुआ है? इसके अलावा ये प्लेटफॉर्म डेटा चोरी संबंधित अलार्म भी लगाती हैं और डेटा में लगी सेंध के तरीकों की भी जानकारी देती हैं। इनमें नाम, मोबाइल नंबर आदि कम संवेदनशील जानकारी के तहत आते हैं तो वहीं ईमेल, जन्मतिथि और पहचान संबंधी दूसरे तथ्य संवेदनशील जानकारी के तहत आते हैं।

इसके बाद आपको मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐप आदि अपग्रेड करना चाहिए और नया पासवर्ड बनाना चाहिए। भाटिया कहते हैं, 'अगर ऐप का उपयोग करने के लिए पासवर्ड जरूरी था तो उसे तुरंत बदल लें, क्योंकि चोरी हुए डेटा के साथ पासवर्ड चोरी होने की काफी अधिक संभावना होती है।'

अगर वित्तीय डेटा चोरी हुआ है तो बैंक को फोन करके कार्ड ब्लॉक कराएं। पुणे स्थित साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ मयूर जोशी कहते हैं, 'अपनी क्रेडिट कार्ड रिपोर्ट देखें और हाल में की गई गतिविधियों पर नजर रखें। इसके साथ ही, जिस कंपनी के डेटा में चोरी हुई है, उसके द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सहायता का लाभ लें।'

इस तरह की चोरी में अगर किसी वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनी प्रभावित हुई है तो आमतौर पर वह आपको सुरक्षा उपाय के बारे में बताती है। इसके अलावा, अगर आपको पासवर्ड याद रखने में दिक्कत होती है तो डैशलेन, लास्टपास, कोपास, 1पासवर्ड आदि किसी भी पासवर्ड मैनेजर का उपयोग कर सकते हैं।

पेज -1 का शेष

कई स्तरों पर सहमति और मंजूरी की जरूरत

कई स्तरों पर सहमति की जरूरत है जिससे यह पूरी प्रक्रिया बेहद जटिल हो जाएगी। वारिस के मुताबिक देश के बाहर डेटा के प्रोसेसिंग से जुड़े प्रावधानों के लिए कई स्तरों पर सहमति और मंजूरी की जरूरत है और केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना इसे नहीं किया जा सकता है। अमेरिका की एक बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनी के एक अधिकारी ने कहा कि अगर सरकार कंपनियों से गैर-निजी डेटा को साझा करने को कहती है तो यह एक विवादस्पद मुद्दा होगा। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार डेटा सुरक्षा प्राधिकरण से विमर्श करने के बाद किसी भी कंपनी या डेटा प्रोसेसर को कोई भी व्यक्ति या गैर-व्यक्तिगत डेटा देने के लिए कह सकता है। इसका मकसद सेवाएं मुहैया कराने के लिए उपयुक्त लक्ष्य निर्धारण और सबूत आधारित नीतियां तैयार करना है। कानूनी विशेषज्ञ अंबर सिन्हा ने कहा कि खासकर गैर-व्यक्तिगत डेटा के मामले में हमें यह देखना होगा कि ये कहाँ जाते हैं।

सिन्हा ने कहा कि बौद्धिक संपदा कानून, कारोबार गोपनीयता और डेटाबेस अधिकार जैसी सुरक्षा डेटा संग्रहक कंपनियों के पास उपलब्ध होगी, जिससे सरकार के लिए इनसे डेटा मुहैया करने के लिए कहना थोड़ा तकनीकी मामला हो सकता है। उन्होंने कहा, 'विधेयक के प्रावधानों को देखने से पता चलता है कि भारत सरकार डेटा को राष्ट्रीय भू-राजनीतिक लक्ष्यों के लिहाज से अहम मानती है। सरकार देश में उपलब्ध डेटा का इस्तेमाल विभिन्न उद्देश्यों के लिए करना चाहती है। कुछ बातें जोड़कर गैर-व्यक्तिगत डेटा आसानी से व्यक्तिगत डेटा में तब्दील किए जा सकते हैं।' डेटा प्रोसेसिंग की जरूरतों को मिली-जुली प्रतिक्रिया देश के बाहर प्रोसेस होने वाले व्यक्तिगत डेटा को लेकर कुछ डील जरूर होनी चाहिए। खैलान एंड कंपनी में पार्टनर अतुल पांडेय कहते हैं, 'डेटा के प्रकार के आधार पर विधेयक में इन बातों को लेकर प्रावधान हैं कि डेटा कहाँ प्रोसेस और संग्रहित किए जा सकते हैं और संवेदनशील डेटा का संग्रह भारत में ही होना है। विधेयक में यह प्रावधान भी है कि यूजर की अनुमति के बाद ही भारत से बाहर डेटा प्रोसेस किया जा सकता है।


भारतीय आईटी सेवा क्षेत्र के एक विशेषज्ञ ने कहा कि विधेयक के प्रावधान इन्फोसिस, विप्रो और अन्य आईटी कंपनियों के लिए पर्याप्त हैं। मौजिला में लोक नीति सलाहकार उद्द भव तिवारी कहते हैं, 'सोशल मीडिया यूजर का सत्यापन और गैर-व्यक्तिगत आंकड़ों का बाध्यकारी स्थानांतरण भारतीय लोगों की निजता के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं। भारतीयों की निजता की पुष्टा सुरक्षा के लिए सरकार को इन जोखिम पर प्रावधानों की समीक्षा करनी होगी।'

शाह पर प्रतिबंध की मांग पर बिफरा भारत

नागरिकता विधेयक पर अमेरिकी आयोग ने की मांग, भारत ने कहा आंतरिक मामला

एजेंसियां

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कुछ अन्य प्रमुख भारतीय नेताओं पर प्रतिबंध लगाने की अमेरिका के एक संघीय आयोग की मांग पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिका के संघीय आयोग (यूएससीआईआरएफ) ने कहा है कि नागरिकता संशोधन विधेयक गलत दिशा में बढ़ाया गया एक खतरनाक कदम है और यदि यह भारत की संसद में पारित होता है तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कुछ अन्य भारतीय नेताओं के खिलाफ प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। नागरिकता संशोधन विधेयक (केब) पर अमेरिकी संघीय आयोग की आलोचनात्मक टिप्पणी को सही नहीं बताते हुए भारत ने मंगलवार को कहा कि अपने नागरिकों को नागरिकता देना भारत का आंतरिक मामला है और यह काफी अफसोसजनक है कि अमेरिकी संस्था ने उस विषय पर अपने पूर्वाग्रह से प्रेरित होने का रास्ता चुना जिस पर उसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।



यूएससीआईआरएफ के बयान को खारिज करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि आयोग द्वारा अपनाया गया स्वरूप उसके पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए चौंकाने वाला नहीं है। उन्होंने कहा, 'हालांकि, यह खेदपूर्ण है कि उस मामले में संस्था ने अपने पूर्वाग्रह और पक्षपातपूर्ण रवैये से निर्देशित होना चुना जिस पर उसका ज्ञान बेहद सीमित है तथा जिस पर उसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।' उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कानून से उनकी मौजूदा दिक्कतें और उनके बुनियादी मानवाधिकार का समाधान होगा और इस पहल की उन लोगों द्वारा आलोचना नहीं की जानी चाहिए जो धार्मिक स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध हैं। सोमवार देर रात लोकसभा ने नागरिकता संशोधन विधेयक (केब) को मंजूरी दे दी जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से शरणार्थी के तौर पर 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए उन गैर-मुसलमानों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है जिन्हें धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा हो।

यूरोपीय संघ का बयान

भारत में यूरोपीय संघ के राजदूत उगो अस्तुतो ने मंगलवार को नागरिकता विधेयक पर कहा कि समानता का सिद्धांत भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित है, आशा करते हैं कि उसका सम्मान किया जाएगा। पाकिस्तान ने भारत के नागरिकता संशोधन विधेयक को प्रतिगामी एवं पक्षपातपूर्ण बताया और इसे भारत का पड़ोसी देशों के मामलों में दखल का दुर्भावनापूर्ण इरादा बताया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने विधेयक की कड़ी निंदा की है। खान ने कहा, 'यह संघ की हिंदू राष्ट्र की विस्तारवादी योजना का हिस्सा है।'

राज्यसभा में नागरिकता विधेयक के पक्ष में आंकड़े

लोकसभा से पास होने के बाद नागरिकता संशोधन विधेयक बुधवार को चर्चा के लिए राज्यसभा में पेश किया जाएगा। विपक्षी पार्टियां विधेयक के विरोध में लामबंद हैं हालांकि ये सभी सरकारी आंकड़ों से कुल मिलाकर लगभग 20 मत दूर हैं। जनता दल (यूनाइटेड) और शिवसेना ने लोकसभा में विधेयक का समर्थन किया है हालांकि राज्यसभा में शिवसेना अपना समर्थन वापस ले सकती है।

240 सदस्यों वाली राज्यसभा में भाजपा के पास सहयोगी एवं क्षेत्रीय दलों के साथ कुल 128 मत हैं और अगर शिवसेना भी विधेयक के पक्ष में मत करती है तो यह आंकड़ा 131 पर पहुंच जाएगा। दूसरी ओर, विपक्षी दलों के पास कुल 109 मत हैं और अगर शिवसेना विधेयक का विरोध करती है तो आंकड़ा बढ़कर 112 हो जाएगा। जद(यू) में समर्थन तथा विरोध को लेकर आपसी मदभेद चल रहे हैं और अगर पार्टी विधेयक का विरोध करती है तो विपक्षी दलों के कुल आंकड़े बढ़ जाएंगे लेकिन निर्धारित संख्या तक नहीं पहुंच पाएंगे। विपक्षी दलों को यह भी संशय है कि मतदान के दौरान कई सदस्य अनुपस्थित रह सकते हैं।

बीएस

महानगरों से बाहर बड़े ऑनलाइन वीडियो के दर्शक

ऑनलाइन वीडियो देखने के रूझान में लखनऊ, पुणे, पटना ने हैदराबाद, बेंगलूरु और कोलकाता को पीछे छोड़ा

सोहिनी दास

देश के महानगरों से बाहर के शहरों में ऑनलाइन वीडियो के दर्शकों के रूझान में काफी बदलाव दिख रहा है और इसमें काफी तेजी देखी जा रही है। इंडिया वॉच रिपोर्ट 2019 के मुताबिक ऑनलाइन क्षेत्रीय सामग्री देखने की मांग बढ़ रही है और प्रमुख स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हॉटस्टार ने इस साल 40 करोड़ डाउनलोड के आंकड़े को पार कर लिया है। इंडिया वॉच रिपोर्ट 2019 में ऑनलाइन वीडियो देखने की रफ्तार और रूझानों का विश्लेषण किया गया है जो हॉटस्टार के ग्राहकों पर आधारित है।

स्टार और डिज्नी इंडिया के अध्यक्ष उदय शंकर का कहना है, 'दर्शकों के ऑनलाइन वीडियो देखने की आदत में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। करीब 20 करोड़ लोग एक महीने में बिना क्रिकेट के भी हॉटस्टार देख रहे हैं।' देश में करीब 800-900 चैनल हैं और एक महीने में टेलीविजन देखने वाले दर्शकों की तादाद करीब 70 करोड़ है। हॉटस्टार के 20 करोड़ दर्शक की तुलना अगर टेलीविजन के 70 करोड़ दर्शकों से की जाए तब यह अंदाजा मिलता है कि इसमें बड़ा बदलाव आ रहा है और दर्शक बिना किसी बाधा के मोबाइल पर ऑनलाइन वीडियो देखना पसंद करते हैं।

निश्चित तौर पर देश में डेटा का बोलबाला बढ़ गया है। औसतन एक उपभोक्ता हर महीने 9.8



जीबी डेटा की खपत करता है। कंपनी का दावा है कि हॉटस्टार ने पिछले साल के मुकाबले दो बार ज्यादा इंस्टॉलेशन यानी 2019 में प्रति मिनट 555 इंस्टॉलेशन देखा है। इसने क्रिकेट विश्व कप 2019 के भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान प्रति मिनट 8000 इंस्टॉलेशन देखा गया।

महानगरों से इतर अन्य शहरों के ज्यादातर लोग ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं। इस साल ऑनलाइन मनोरंजक वीडियो देखने वालों में गैर-मेट्रो शहरों के लोगों की हिस्सेदारी 63 फीसदी रही जबकि पिछले साल यह तादाद करीब 54 फीसदी तक थी। लखनऊ, पुणे, पटना ने हैदराबाद, बेंगलूरु और

कोलकाता को ऑनलाइन वीडियो देखने के रूझान में पीछे छोड़ दिया। पश्चिम बंगाल और बिहार में प्रति व्यक्ति डेटा खपत महाराष्ट्र और कर्नाटक के मुकाबले ज्यादा रही।

महिला दर्शकों की तादाद में भी वृद्धि देखी गई और यह 2018 के 42 फीसदी से बढ़ कर 2019 में 45 फीसदी तक हो गई। हालांकि देश में ऑनलाइन वीडियो देखने वाले वरिष्ठ लोगों की तादाद अब भी कम है और 35 साल से अधिक उम्र वाले दर्शकों की तादाद महज 19 फीसदी तक है। 2018 में 35 साल से अधिक उम्र वाले ऑनलाइन वीडियो दर्शकों की तादाद महज 15 फीसदी थी।

हॉटस्टार के मुख्य उत्पाद अधिकारी और कार्यकारी उपाध्यक्ष वरुण नारंग का कहना है, 'देश के दर्शक कई तरह की सामग्री को पसंद कर रहे हैं और उनकी तादाद मेट्रो शहरों से इतर भी बढ़ गई है और यह केवल स्त्री-पुरुष या भाषा तक ही सीमित नहीं है।'

कुल ऑनलाइन वीडियो खपत में क्षेत्रीय सामग्री की हिस्सेदारी भी 40 फीसदी तक है। तमिल, तेलुगू

और बांग्ला प्रमुख क्षेत्रीय भाषाएं हैं। दिलचस्प बात यह है कि 35 फीसदी बांग्ला दर्शकों की तादाद राज्य से बाहर की है।